भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) योजना का निष्पादन

संघ सरकार

राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क

2015 की संख्या 9

____________ को लोकसभा/राज्य सभा में प्रस्तुत

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
प्राक्कथन		i
संकेताक्षर		ii
कार्यकारी सार		iv
अध्याय 1: प्रस्तावना		
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	योजना का उद्देश्य	1
1.3	प्रशासिनक व्यवस्था	1
1.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य	2
1.5	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, प्रतिदर्श और मापदंड	2
1.6	योजना संचालन के प्रावधान	3
1.7	योजना की मुख्य विशेषताएं	3
1.8	ईओयू/डीटीए इकाई की तुलना में सेज इकाई	4
1.9	100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख योजना पर पहले की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	6
1.10	ईओयू की संबंधित वेबसाइट में डेटा की अनुपलब्धता	6
अध्याय 2: ईओयू का निष्पादन एवं प्रणाली के मुद्दे		
2.1	ईओयू की गिरती प्रवृत्ति	8
2.2	ईओयू का निष्पादन	8
2.3	योजना का विश्लेषण	12
अध्याय 3: आन्तरिक नियंत्रण, लेखापरीक्षा तथा निगरानी		
3.1	आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था	14
3.2	वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर)	15
अध्याय 4: अननुपालना तथा नीति के मिथ्या प्रस्तुतीकरण के मामले		
4.1	डीटीए बिक्री	20
4.2	ईओयू योजना से अलग होते समय शुल्क की कम वसूली	28
4.3	सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना	28
4.4	सेवा कर न लगाना	30
4.5	केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की अनियमित प्रतिपूर्ति	32
4.6	पुन: वेयर हाउसिंग प्रमाणपत्र प्राप्त न होना	33

4.7	बांड का अपर्याप्त कार्यान्वयन होना/कार्यान्वयन न होना	33
4.8	क्षेत्राधिकारी प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त किए बिना जॉब कार्य के लिए माल को हटाना	34
4.9	तदर्थ मानदण्डों के निर्धारण के लिए प्राप्त मामलों का डाटा उपलब्ध न होना तथा उसका अंतिम निर्णय लेना	34
4.10	एसआईओएन के तहत स्वीकृत के अलावा आयातित इनपुट/कच्ची सामग्री/उपभोगीय वस्तुओ की खपत पर शुल्क का उद्धग्रहण न होना	37
4.11	आयातित इनपुट/कच्ची सामग्री की अधिक खपत पर परित्यक्त राजस्व की उगाही न होना	38
4.12	एलओपी में दी शर्तो का उल्लंघन	38
4.13	वसूली नहीं गई विदेशी मुद्रा	42
4.14	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए के तहत ईओयू को जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना का लागूकरण	43
4.15	एफटीपी और सीई अधिसूचना में अस्पष्टता	45
5	**निष्कर्ष**	45
परिशिष्ट		48

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2009-10 से 2012-13 के दौरान सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख (इओयू) योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित है।

इस प्रतिवेदन में वह मामले उल्लिखित है जो 2014-15 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई हैं।

लेखापरीक्षा वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्रालय (डीओसी) और राजस्व विभाग (डीओआर) और इसकी क्षेत्री संरचनाओं से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्राप्त किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हैं।

संकेताक्षर

एपीआर	:	वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट
बीओए	:	अनुमोदन बोर्ड
बीटीपी	:	बायोटैक्नोलॉजी पार्क
बीएलयूटी	:	बांड एवं विधिक उपक्रम
बीसीडी	:	मूल सीमा शुल्क
सीबीईसी	:	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीवीडी	:	प्रतिकारी शुल्क
डीसी	:	विकास आयुक्त
डीटीए	:	धरेलू टेरिफ क्षेत्र
ईएचटीपी	:	इलेक्ट्रॉनिक हाडवेयर टैक्नोलॉजी पार्क
ईओयू	:	निर्यात उन्मुख इकाई
एफईएमए	:	विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम
एफटीपी	:	विदेश व्यापार नीति
जीओआई	:	भारत सरकार
एचबीपी	:	प्रक्रिया हस्तपुस्तिका
एलओए	:	अनुमोदन पत्र
एलओपी	:	अनुमति पत्र
एमएटी	:	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओसीआई	:	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एमओएफ	:	वित्त मंत्रालय
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनएफई	:	सकल विदेशी विनिमय
पीएसी	:	लोक लेखा समिति
क्यूपीआर	:	तिमाही निष्पादन रिपोर्ट
एसएडी	:	विशेष अतिरिक्त शुल्क
एससीएन	:	कारण बताओ नोटिस
सेज़	:	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसटीपी	:	सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क

यूएसी	:	इकाई अनुमोदन समिति
वेट	:	मूल्य वर्धित कर
एसईईपीजेड	:	सेनटाक्रुज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन क्षेत्र
एनएसईजेड	:	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
केएएसईजेड़	:	काण्डला विशेष आर्थिक क्षेत्र
सीएसईजेड	:	कोच्चीन विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसईजेड	:	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एफएसईजेड	:	फालटा विशेष आर्थिक क्षेत्र
आईएसईजेड	:	इन्दौर विशेष आर्थिक क्षेत्र
वीएसईजेड	:	विशाखापट्नम विशेष आर्थिक क्षेत्र
वैट	:	मूल्य वर्धित कर

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

निर्यात उन्मुख इकाई योजना (ईओयू) को काण्डला में प्रथम निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजेड) के गठन के अठारह वर्षों के बाद और सेज के अस्तित्व मे आने से बीस वर्ष पहले दिसम्बर 1980 में शुरू किया गया था। वर्षों से इस योजना में विभिन्न बदलाव आए है और इसके कार्यक्षेत्र में भी पर्याप्त विस्तार हुआ हैं। योजना को अतिरिक्त उत्पाद क्षमता के सृजन द्वारा निर्यातों के वर्धन के उद्देश्य के साथ आरम्भ किया गया था। इसे मुख्यत: विनिर्माण के संवर्धन और वृद्धि तथा मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए बनाया गया था।

ईओयूज़ की कार्यप्रणाली तीन स्तरीय प्रशासनिक सेट-अप द्वारा शासित है। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) शीर्ष निकाय है और इसकी अध्यक्षता सचिव, वाणिज्य विभाग द्वारा की जाती है। जोन स्तर पर इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) विकास आयुक्त (डीसी), जोकि यूएसी के पदेन अध्यक्ष है, के क्षेत्राधिकार में इकाईयों के अनुमोदन के साथ डील करती है।

ईओयूज के संबंध में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क कानून के प्रावधानों को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के नियंत्रण के अर्न्गत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा प्रशासित किया जाता हैं।

एफटीपी 2009-14 का अध्याय 6 और एचबीपी खण्ड-1 2009-14 इस योजना को शासित करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 सीमा शुल्क अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान और इनके अन्तर्गत बनाए गए नियम ओर सेवा कर की अनुप्रयोज्यता से संबंधित वित्त अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं और विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधान आदि की अनुप्रयोज्य है।

सकल विदेश विनिमय (एनएफई) की निगरानी उपलब्धि और चूक के मामले में विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (एफटीडी एवं आर अधिनियम) की धारा 11 (2) के अन्तर्गत शास्ति का उदग्रहण वाणिज्य विभाग (डीओसी) के अन्तर्गत डीसी कार्यप्रणाली के अधिकार क्षेत्र में आता है।

डीओसी का दीर्घावधि परिदृश्य 2020 तक विश्व व्यापार में भारत को प्रमुख भागीदार बनाना हैं। विभाग की आकांक्षा अगले छह वर्षों में 25 प्रतिशत पर निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि को प्राप्त करना हैं। इस आकांक्षा पर कार्य करके विभाग 2010-11 के यूएस $ 225 बिलियन (अपेक्षित स्तर) से 2013-14 में यूएस $ 450 बिलियन और फिर यूएस $ 750 बिलियन तक अपने व्यापरिक निर्यातों को दोहरा करना चाहता है।

ईओयू/डीटीए इकाईयों को भारत मे कही भी स्थापित किया जा सकता है। इओयू ईकाईयां किए गए निर्यातों के आधार पर लागू शुल्कों के भुगतान के बाद डीटीए बिक्री के लिए हकदार हैं।

कराधान-शीर्ष पर इओयूज़ को आयातों और निर्यातित माल पर किसी शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, हालांकि ईओयूज़ निर्यातित माल के लिए शुल्क फिरती और एफटीपी के अन्तर्गत अध्याय 3 (संवर्धन उपाय) लाभों के दावे करने के लिए हकदार नहीं है। सेवा कर ईओयूज़ द्वारा सेवाओं के निर्यात पर प्रतिदाय योग्य है। ईओयू में सेवा इकाईयों पर वेट उदग्रहणीय है। ईओयूज़ को इनपुटों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

इओयूज़ को प्रभावित संरचनात्मक लागत और ईओयूज़ पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों के लिए लागत वसूली प्रभार और संबंधित भंडारण प्रभारों को वहन करना होगा।

ईओयू केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्यरत है। योजना से डी-बॉन्डिग और निर्गम की प्रक्रिया जटिल है।

योजना की समीक्षा 2007 में की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कषों को 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर) में शामिल किया गया था। रिपोर्ट में की गई नौ सिफारिशों में से डीओसी ने दो सिफारिशों को स्वीकार किया था। अन्य सिफारिशों के लिए उपयुक्त उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

न तो डीजीएफटी ने और न ही डीसीज़ ने कार्यरत इओयूज़ की संख्या, नए सदस्यों की संख्या, योजना को छोड़ने वाली इकाईयों की संख्या, उनके निर्यातो/आयातों आदि के संबंध में अपनी वेबसाइटों में वर्ष वार ब्यौरे रखे है, जिसके परिणामस्वरूप यह डाटा वाणिज्य मंत्रालय/डीजीएफटी के वेबसाइट में उपलब्ध नहीं हैं।

इओयू की समर्पित वेबसाइट (eouindia.gov.in) में कुछ डाटा केवल वित्तीय वर्ष 2007-08 तक के लिए उपलब्ध था। डीओसी ने एक्जिट कान्फ्रेस में बताया कि (जनवरी 2015) वेबसाइट 'eouindia.gov.in' कार्य नहीं कर रही थीं और अब डाटा को इओयूज़ और सेज़ो के लिए निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अनुरक्षित www.epces.in में प्रग्रहण किया जा रहा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वेबसाइट में केवल दिसम्बर 2013 तक के लिए ईओयूज़ के निर्यात निष्पादन उपलब्ध हैं।

डीसीज़ के पास उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले इओयूज़ से संबंधित डाटा बेस नहीं हैं।

इओयूज़ का निष्पादन

इओयूज़ की कुल संख्या में 2009-10 में 3109 से 2013-14 में 2608 तक गिरावट आई हैं। हालांकि कार्यकारी इकाईयों की संख्या में उसी अवधि के दौरान 2279 से 2095 तक गिरावट आई है, कुल इकाईयों में से कार्यकारी इकाईयों की प्रतिशतता में गैर कार्यकारी और डिबोन्ड इकाईयों की प्रतिशतता में परिणामी वृद्धि के साथ 2010-11 में 83 प्रतिशत से 2013-14 में 80 प्रतिशत तक की गिरावट आई हैं। 2006-07 में सेज़ अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद इओयूज़ में निरन्तर कमी आई हैं।

योजना से इओयूज़ के निर्गम के मुख्य कारण डीईपीबी, फिरती, डीएफआरसी एवं लक्ष्य प्लस योजना आदि से लाभों की अनुपलब्धता निर्धारण वर्ष अप्रैल 1-2011 (पूर्व वर्ष 2010-11) से आयकर अधिनियम की धारा 10बी के अन्तर्गत आयकर लाभों को बंद करना इत्यादि हैं।

भारत सरकार ने इओयू/इएचटीपी/एसटीपी योजनाओं पर 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 32,932 मूल्य के महत्वपूर्ण सीमाशुल्क राजस्व छोड़ दिए थे।

सरकार को अपनी नीतिगत योजना (डीओसी) की तुलना में 2013-14 में अपने निर्यात लक्ष्य के लगभग 33 प्रतिशत तक (यूएस $ 150 बिलियन) कम लाभ प्राप्त हुआ। एफटीपी (2009-14) को इसके कार्यकाल से अधिक प्रचालित किया जा रहा है और इओयू योजना ना तो उद्यमी प्राप्त कर सकी और ना ही वृद्धि में योग्यदान दे सकी जैसाकि पर्याप्त शुल्क को छोड़ते समय परिकल्पित था।

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

डीओसी/डीओआर द्वारा इओयू योजना के कार्यान्वयन से पहले कोई प्रभाव निर्धारण नहीं किया गया था। इओयू योजना के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में सेज अधिनियम के कार्यान्वयन के समय कोई मध्यावधि मूल्यांकन नहीं किया गया था। हालांकि इओयू योजना को कई वर्ष पूर्व शुरू किया गया था और इओयूज़ को पर्याप्त रियायते विस्तारित की गई थी फिर भी इओयूज़ की कार्यप्रणाली के विहंगावलोकन ने सहायता करने के लिए एमओसी एडं आई में कोई संरचनात्मक आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र नहीं हैं।

इकाईयों की कार्यप्रणाली और निष्पादन की वार्षिक निगरानी इकाईयों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक विवरणियों के माध्यम से डीसीज़ द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर डीसीज़ इकाईयों के दायित्वों को पूरा करने के लिए चूककर्त्ता इकाईयों को समर्थ बनाने के लिए डीओसी को सुधारात्मक उपायों की सूचना/सुझाव देते हैं। हालांकि, इओयूज के निष्पादन की अनियमित निगरानी के मामले देखे गए हैं।

सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक (डीईए) ने और न ही मुख्य लेखा नियंत्रक (डीओसी) ने इओयू योजना की लेखापरीक्षा की है। इओयू योजना की नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली को डीओसी द्वरा संस्थागत नहीं किया गया हैं।

डीओसी ने समर्पित वेबसाईट पर अधतित डाटा को एकत्र, मिलान और उपलब्ध कराने के लिए उपाय कर सकता है।

अननुपालन और नीति की मिथ्या प्रस्तुति के मामले

अननुपालन और नीति की मिथ्या प्रस्तुति के मामले देखे गए है जिनमें डीटीए बिक्रियां, इओयू योजना से निर्गम के समय पर शुल्क का कम उदग्रहण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना अनुप्रयोज्यता, सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति, सेवा कर का अनुद्ग्रहण आदि शामिल है:

इस रिपोर्ट में बताए गए प्रणालीगत मामलों के अलावा प्रचालनात्मक खराबी के विशेष मामलों से ₹ 317.06 करोड़ के शुल्क का कम/उदगहण नहीं हुआ।

सिफारिशें

1. *मंत्रालय विशिष्ट घटनाक्रमों तथा परिमेय परिणामों में गिरावट को रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरू करें ताकि योजना की विशिष्टता का उपयोग करते हुए निर्यात में वृद्धि के लिए आधारभूत उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकें।*
2. *डीओसी ईओयू योजना की नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा की एक प्रणाली को संस्थागत करें और विश्वसनीय वेबासाइट पर अद्यतित डाटा को संग्रह, साफ, मिलान तथा सूचित करने के लिए उपाय करें।*
3. *डीओसी यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करे कि एपीआरज़ समय पर प्रस्तुत की गई है तथा इन रिपोर्टों में, जो इओयूज़ के निष्पादन की निगरानी हेतु बनी है, ना केवल निर्यात बल्कि छोड़े गए शुल्क, निर्यात को सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा डीटीए बिक्री के बारे में भी सभी महत्वपूर्ण डाटा हो*
4. *विभाग विकास आयुक्तों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त निगरानी के निर्धारित तंत्र में सुधार करने के साथ-साथ एफटीडीआर।सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर अधिनियम के अनुसार किसी गंभीर अननुपालन के लिए जवाबदेही के निर्धारण के माध्यम से इओयूज द्वारा डीटीए मंजूरी के मामले में आंतरिक नियंत्रण को सदृढ़ करें।*
5. *विभाग को ईओयूज़ द्वारा दी गई घरेलू मंजूरी पर उद्ग्रहण योग्य शुल्क से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और धारा 3 के विरोधाभासी प्रावधानों के कारण उत्पन्न अस्पष्टता को हटाने के लिए उपयुक्त संशोधन पर विचार करना चाहिए।.*
6. *विभाग को परिकल्पित उद्देश्यों से जुड़े इओयू में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एफटी(डीएडंआर) अधिनियम के संबंधित प्रावधान को स्पष्ट करना चाहिए।*
7. *ईओयूज़ के डीटीए बिक्री हकदारी से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना और एफटीपी के बीच अस्पष्टता को दूर करने के क्रम में लागू प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार किया जाना चाहिए।*

100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) योजना का निष्पादन

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

काण्डला में पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीज़ेड) के बनने के अठ्ठारह वर्ष बाद और सेज के बनने से 20 वर्ष पूर्व निर्यात उन्मुख इकाई योजना (ईओयू) दिसम्बर 1980 में शुरू की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में योजना में विभिन्न परिवर्तन आये और उसका कार्य क्षेत्र भी काफी हद तक बढ़ा। योजना में स्वदेशी पूँजीगत माल, कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात/खरीद का प्रावधान है। इन इकाईयों को अनुमति पत्र (एलओपी) में निर्दिष्ट अनुसार मूल्य संवर्धन के स्तर को प्राप्त करने के लिये और सीमाशुल्क बांड के अंतर्गत करना होता है। योजना का प्रशासिनक नियंत्रण डीओसी के अधीन है। योजना के लाभ एफटीपी के अध्याय 6 के अंतर्गत अनुमेय हैं और डीओसी के अंतर्गत डीसी कार्य पद्धति द्वारा प्रशासित महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एफटीपी प्रबंधन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

1.2 योजना का उद्देश्य

योजना अतिरिक्त उत्पाद क्षमता[1] उत्पन्न करके निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह विशिष्ट निर्यात देयता को प्राप्त करने के लिये देश (सेज से बाहर) में कही भी व्यापार इकाईयों की स्थापना की अनुमति देता है।

यह प्राथमिक रूप से निर्माता के संवर्धन और विकास और मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात के लिये बनाया गया था। इन इकाईयों को लागत प्रभावी बनाने के लिए इनको विदेश तकनीक के मुफ्त उपयोग के लिये सुविधाजनक और व्यापक स्तर पर विदेशी बाजार में उद्यम के लिये इनको बढावा देने के लिये, योजना के अंतर्गत संचालित इकाईयों के लिये प्रोत्साहन की व्यापक श्रृंखला है।

सरकार का मुख्य उद्देश्य गिरते निर्यात को रोकना और प्रवृत्ति को उल्टा करना और 2013-14 में यूएस$450 अरब और फिर $750 अरब[2] की निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना है।

1.3 प्रशासिनक व्यवस्था

ईओयू की कार्य पद्धति तीन टियर प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन है। अनुमोदन समिति (बीओए) शीर्ष समिति है और वाणिज्यिक विभाग के सचिव

---

[1] दिनांक 31.12.1980 का परिपत्र सख्या एफ. संख्या 8(15)/78-ईपी

[2] रणनीतिक योजना, वाणिज्य विभाग

की अध्यक्षता में होती है। क्षेत्रीय स्तर पर इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) विकास आयुक्त (डीसी), जो यूएसी का पदेन अध्यक्ष है, के क्षेत्राधिकार के अंदर इकाईयों के अनुमोदन से संबंधित है।

ईओयू के संबंध में सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून का प्रावधान, केन्द्रीय बोर्ड उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क (सीबीईसी), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के नियंत्रण के अंतर्गत आयुक्त सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा प्रशासित होता है।

1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

भारत सरकार ने ईओयू/इएचटीपी/एसटीपी योजना पर 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 32,932 करोड़[3] तक की राशि का महत्वपूर्ण सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क छोड़ा था। एफटीपी (2009-14) के अनुसार, ईओयू की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी आश्वासन लेने के दृष्टिकोण से कि:

क. ईओयू के अनुमोदन, निर्माण, कार्यपद्धति और निगरानी के संबंध में पर्याप्त वैधानिक प्रावधान/नियमों विनियम, निर्देश/अधिसूचना मौजूद हो।

ख. ईओयू ने एचबीपी के लागू प्रावधानों और एफटीपी और उचित अधिसूचनाओं में निर्धारित अनुसार आपात शर्तों की पूर्ति की।

ग. ईओयू विदेश व्यापार नीति में कथित अनुसार अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम थे।

घ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी तंत्र प्रभावी हैं।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, प्रतिदर्श और मापदंड

31 मार्च 2014 को 2095 क्रियाशील ईओयू में से जून 2014 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान 365 ईओयू के रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा ने इस रिपोर्ट के उद्देश्य से 2009-10 से 2013-14 की अवधि कवर की।

प्रतिदर्श के चयन के लिये मापदंड निम्नलिखित रूप से थे:

क. पांच वर्ष पूरे करने वाली इकाई जिसका पिछले चार वर्षों में ₹ 1 करोड़ की डीटीए बिक्री या आयात या उससे अधिक हो।

[3] स्रोत: निदेशालय डेटा प्रबंधन, सीबीईसी

ख. अन्य ईओयू

ग. डी-बांडेड इकाईयां

घ. पिछले चार वर्षों के दौरान बंद हुई इकाईयां

हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदंड के प्रति अपने निष्कर्ष निकाले:

I. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

II. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

III. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

IV. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1985

V. सेवा नियमों का निर्यात, 2004

VI. सेवा कर अधिनियम, 1994

VII. परिशिष्ट सहित प्रक्रिया की पुस्तिका साथ विदेश व्यापार नीति (2009-14)

VIII. 2007 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 (अप्रत्यक्ष कर)

1.6 योजना संचालन के प्रावधान

एफटीपी 2009-14 का अध्याय 6 और एचबीपी खण्ड-I 2009-14 योजना का संचालन करता है। इसके साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1961 के संबंधित प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाये गये नियम और सेवा कर उपयुक्तता से संबंधित वित्त अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचनाऐं और विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधान भी लागू होते हैं।

शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) की प्राप्ति की निगरानी और चूक के मामलों में, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (एफटीडीएंडआर अधिनियम) की धारा 11(2) के अंतर्गत जुर्माने की उगाही वाणिज्य विभाग (डीओसी) के अंतर्गत क्रियाशील डीसी के क्षेत्राधिकार के अंदर हैं। डीसी/बीओए के अनुमोदन से, ईआयू को एनएफई या अन्य अनिवार्यता प्राप्त करने में उनकी अयोग्यता पर डी-बांड किया जा सकता है, यदि डी-बांडिंग के समय पर देय शुल्क का भुगतान हो।

1.7 योजना की मुख्य विशेषताएं

डीओसी का दीर्घकालिक दृष्टिकोण भारत को 2020 तक विश्व व्यापार में मुख्य अदाकार बनाना है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी 2009-14) में उल्लिखित अनुसार मध्यम अवधि में उसका उद्देश्य 2014 तक भारत के माल और सेवा के निर्यात को दोगुना करने के साथ उचित नीति सहायता के

माध्यम से 2020 के अंत तक वैश्विक व्यापार में भारत के शेयर को दोगुना करने का दीर्घ कालिक उद्देश्य है। विभाग की महत्वाकांक्षा अगले छह वर्षों में 25 प्रतिशत निर्यात का औसत वार्षिक विकास प्राप्त करना है। इस महत्वाकांक्षा में कार्य करते हुये, विभाग का 2010-11 में अपेक्षित स्तर यूएस $225 अरब से 2013-14 में यूएस $450 अरब तक अपना व्यापारिक निर्यात का दो गुना और फिर यूएस $750 अरब करने का उद्देश्य है।

इओयू शुल्क मुक्त आयात या पूंजीगत माल, कच्चेमाल, उपभोग्य, स्पेयर, पैकिंग सामग्री आदि की घरेलू खरीद आदि, घरेलू क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन के उप भाग के प्रत्यक्ष निर्यात के लिये प्रयोग किये इनपुट के मामले में एंटी-डंपिग शुल्क की उगाही से छूट जैसे विभिन्न प्रोत्साहन का लाभ लेते है और रियायती छूट पर डीटीए सेल (निर्धारित सीमा के अंदर) के लिये भी पात्र है।

ईओयू स्थापित करने के लिये इच्छुक उद्यमी को डीसी की परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदन करना चाहिये। अनुमोदन पर डीसी, तीन वर्षों की प्रारंभिक वैधता अवधि के साथ एलओपी जारी करता है। संयंत्र और मशीनरी (कृषि, पुष्प कृषि, जलीय कृषि, आईटी आदि को छोड़कर) में न्यूनतम निवेश ₹ 1 करोड़ होना चाहिये।

वर्ष 2013-14 के लिये विभाग के परिणामी रूपरेखा दस्तावेज ईओयू के किसी विशेष उल्लेख के साथ उच्च निर्यात क्षमता के रोजगार गहन उत्पादों के संवर्धन के साथ-साथ नये और उभरते बाजारों के दोहन के माध्यम से भारत के निर्यात प्रयासों की विविधता और भारत के वार्षिक निर्यात विकास को बढ़ाने के लिये नीति सहायता से संबंधित उसके उद्देश्य दर्शाते हैं। डीओसी के परिणामी बजट का इओयू के माध्यम से निर्यात बढ़ाने का कोई विशेष लक्ष्य नहीं था। विभाग द्वारा 2009-10 से 2013-14 के दौरान योजना का परिणामी अध्ययन नहीं किया गया था। डीओसी ने कहा कि ईओयू से संबंधित मुद्दे वर्ष 2015-16 के लिये डीओसी के पूर्व-बजट प्रस्ताव में शामिल नहीं हैं।

1.8 ईओयू/डीटीए इकाई की तुलना में सेज इकाई

ईओयू/डीटीए इकाईयां भारत में कही भी स्थापित की जा सकती हैं जबकि सेज विशिष्ट अधिसूचित क्षेत्र में ही स्थापित किया जा सकता है। दोनों सेज इकाईयां और ईओयू को पांच वर्ष की अवधि में साकारात्मक एनएफई प्राप्त करना होता है। सेज इकाईयों, ईओयू और डीटीए इकाईयां देय शुल्क के भुगतान के बाद डीटीए सेल के लिये पात्र हैं। ईओयू और सेज ईकाईयां आयात/निर्यात माल की सामान्य जांच के लिये छूट प्राप्त हैं, डीटीए इकाईयों

को सीमाशुल्क द्वारा माल की जांच करानी होती है। प्रतिबंधित और एजेंसी माध्यम वाले सरणीबद्ध मदों को ईओयू और सेज इकाईयों द्वारा लाइसेंस के बिना आयातित किया जा सकता है। ईओयू को वेयरहाउसिंग प्रभार और ईओयू पर नियुक्त सीमाशुल्क कर्मचारियों के लिये लागत वसूली प्रभार और प्रभाजित बुनियादी ढांचे की लागत को उठाना पड़ता है।

कर-निर्धारण मामले में, ईओयू और सेज इकाईयां आयात और निर्यात पर किसी भी शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हैं जबकि डीटीए इकाईयों को आयात पर देय शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, यद्यपि, डीटीए इकाईयां निर्यातित माल के लिये शुल्क वापसी के दावे के लिये पात्र हैं और एफटीपी के अंतर्गत अध्याय 3 (प्रचार के उपाय) लाभ के लिये भी पात्र है। सेवा कर ईओयू और डीटीए इकाईयां द्वारा सेवा के निर्यात पर वापस लौटाने योग्य हैं और सेज इकाईयों के मामले में, इनपुट सेवाऐं छूट प्राप्त हैं। ईओयू के बीच सेवा इकाईयों से वैट वसूलीयोग्य है, सेज में राज्य वैट कानून के अनुसार वैट छूट प्राप्त/वापसी योग्य है, यद्यपि, डीटीए इकाईयों के लिये वैट के प्रति क्रेडिट अनुमत था। ईआयू और सेज इकाईयां इनपुट पर शुल्क से छूट प्राप्त हैं, जबकि डीटीए इकाईयां उत्पाद शुल्क की विशेष छूट का लाभ लेती हैं। सेज में कोई कर प्रभाव की गणना तब शुरू की जाती है जब डीटीए बिक्री होती है लेकिन ईओयू के लिये सेज इकाईयों जैसे समान लाभ प्राप्त होते हैं पर उत्पाद के अंतिम स्तर पर जैसा डीटीए इकाईयों के मामले में।

लाभ की तुलना शुल्क तुलना और शुल्क संरचना परिशिष्ट I में दिया गया है। वही अन्य लेखापरीक्षा पैरा में भी संदर्भित हैं।

ईओयू नियमित रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग की देखरेख में कार्य कर रहा है, उसे जॉब वर्क, डीटीए सेल आदि के लिये माल देने के लिये अनुमति प्राप्त करनी होती है।

डी-बांडिग की प्रक्रिया जटिल है। सबसे पहले इकाई को प्रस्ताव को विकास आयुक्त से डी-बांडिंग के लिये सैंद्धांतिक मंजूरी लेनी होती है। उसके बाद इकाई को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को डी-बांड की अपनी इच्छा के बारे में बताना होता है। डी-बांडिंग के समय स्टॉक में प्रगतिशील कार्य और तैयार माल पर शुल्क की उगाही मौजूदा कानून में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। डी-बांडिंग प्रक्रिया में अंतिम चरण विकास आयुक्त के कार्यालय से अंतिम डी-बांडिंग पत्र प्राप्त करना होगा। डी-बांडिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान अंतिम प्रमाणीकरण तक इकाई ईओयू के रूप में ही कार्य करती हैं।

ईओयू और उसके निर्यात की गिरती संख्या यह दर्शाती है कि सेज के आगमन से, निर्यात उन्मुख इकाईयां स्थानीय लाभ होने के बावजूद उद्यमी की रूचि नहीं बनाई रख सकी।

डीओसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2015) में कहा कि विभाग ने ईओयू योजना की तुलना में सेज इकाईयों और डीटीए द्वारा निर्यात सेल के अंतर्गत कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है।

1.9 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख योजना पर पहले की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

2007 में योजना की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष 2007 की लेखापरीक्ष प्रतिवेदन संख्या 7 (अप्रत्यक्ष कर) में शामिल थे। रिपोर्ट में प्रकाशित किये गये कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष ईओयू पर मैक्रो डेटा, अनुचित, अपूर्ण और गलत निर्यात देयता (ईओ)/एनएफई, की पूर्ती न करना, अधिक डीटीए सेल, डीटीए सेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सीएसटी)/आयात की वापसी का अनियमित भुगतान और डीओआर और डीओसी द्वारा रिकॉर्ड किये गये निर्यात निष्पादन में असंतुलन थे।

रिपोर्ट में की गई नौ सिफारिशों में से, डीओसी ने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने और राजस्व विभाग के साथ समन्वय में डी-बांडिंग इकाईयों और क्रियाशील/बंद के मैक्रो डेटा के प्रमाणीकरण पर दो सिफारिशें स्वीकार की यह सुनिश्चित करने के लिये कि डीटीए सेल इकाईयों द्वारा निर्यात देयता को प्राप्त करने के बाद प्रभावित हुई। अन्य सिफारिशों का विशेष उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। पहली रिपोर्ट की दो स्वीकार की गई सिफारिशें अभी भी चिंता का विषय है जैसा निष्पादन लेखापरीक्षा में देखा गया है।

1.10 ईओयू की संबंधित वेबसाइट में डेटा की अनुपलब्धता

न तो डीजीएफटी ने और न ही डीसी ने अपनी वेबसाईट में वर्ष वार विवरण अर्थात क्रियाशील ईओयू की संख्या, नये सदस्यों की संख्या, योजना से बाहर होने वाली इकाईयों की संख्या, उनका निर्यात/आयात आदि प्रस्तुत नहीं किया है। फलस्वरूप यह डेटा वाणिज्य मंत्रालय/डीजीएफटी की वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ईओयू (eouindia.gov.in) की संबंधित वेबसाईट में कुछ डेटा केवल वित्तीय वर्ष 2007-08 तक ही उपलब्ध है, डीसी के पास उसके क्षेत्राधिकार में आने वाली सेज इकाईयों के समान ईओयू से संबंधित डेटा बेस नहीं था।

डीओसी ने अपने उत्तर में (जनवरी 2015) कहा कि क्षेत्रीय डीसी को क्षेत्रों की उनसे संबंधित वेबसाईट में इओयू से संबंधित डेटा के नियमित अद्यतन सुनिश्चित करने के लिये निर्देश दिये जा रहे हैं। डीओसी ने एक्जिट कांफ्रेस में कहा कि (जनवरी 2015), वेबसाईट 'eouindia.gov.in' गैर-कार्यात्मक हो गई है और अब डेटा ईओयू और सेज के लिये निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा *www.epces.in* में लिया जा रहा है लेखापरीक्षा ने देखा कि वेबसाइट पर ईओयू का निर्यात निष्पादन केवल दिसम्बर 2013 तक उपलब्ध है। पूर्वोक्त वेबसाइट में ईओयू से संबंधित कोई भी अन्य विवरण नहीं है।

अध्याय 2: ईओयू का निष्पादन एवं प्रणाली के मुद्दे

2.1 ईओयू की गिरती प्रवृत्ति

ईओयू योजना मुख्य रूप से निर्माता और निर्यात के मूल्यवर्धक उत्पादों के संवर्धन और विकास के लिये बनाई गई थी ईओयू योजना एनएफई प्राप्त करने के दायित्व के साथ देश में कही भी निर्माण इकाईयों की स्थापना की अनुमति देती है। इस उद्देश्य के लिये, इकाईयों को घरेलू स्रोतो से या आयात के माध्यम से शुल्क मुक्त खरीद की अनुमति हैं।

पिछले पांच वर्षों में कुल, क्रियाशील, गैर क्रियाशील और डी बोंडेड ईओयू का विवरण नीचे तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1: क्रियाशील, गैर क्रियाशील और डी-बांडेड ईओयूज

वर्ष	पंजीकृत इकाईयों की कुल संख्या	क्रियाशील इकाईयां		गैर क्रियाशील इकाईयां	डीबांडेड इकाईयां	कुल इकाईयों के लिये गैर क्रियाशील और डीबांडेड इकाईयों की प्रतिशतता
		संख्या	कुल इकाईयों की प्रतिशतता			
2009-10	3109	2279	73.30	687	143	26.70
2010-11	2802	2337	83.04	305	160	16.96
2011-12	2747	2206	80.30	336	205	19.70
2012-13	2626	2131	81.15	365	130	18.85
2013-14	2608	2095	80.33	385	128	19.67

स्रोत:- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, ईओयू की कुल संख्या 2009-10 में 3109 से 2013-14 में 2608 तक कम हुई। जबकि उसी अवधि के दौरान क्रियाशील इकाईयों की संख्या 2279 से 2095 तक कम हुई, गैर क्रियाशील और डीबांडेड इकाईयों की वृद्धि के साथ कुल इकाईयों के लिये क्रियाशील इकाईयों की प्रतिशतता 2010-11 में 83 प्रतिशत से 2013-14 में 80 प्रतिशत कम हुई। 2006-07 में सेज अधिनियम लागू होने के बाद ईओयू में धीरे-धीरे कमी हुई। एफटीपी के पास 100 प्रतिशत ईओयू योजना का अनूठे लाभ के उपयोग के लिये कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है।

2.2 ईओयू का निष्पादन

ईओयू द्वारा निर्यात और देश की वार्षिक विकास दर वार्षिक निर्यात का विवरण, देश के निर्यात में उनका शेयर और निर्यात में वार्षिक विकास दर तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2: ईओयू का निष्पादन

वर्ष	कुल निर्यात (₹ करोड़ में)	निर्यात की वार्षिक विकास दर	ईओयू द्वारा निर्यात		
			राशि (₹ करोड़ में)	कुल निर्यात में शेयर	वार्षिक विकास दर
वि.व.09	840755	28.19	176923	21.04	4.79
वि.व.10	845534	0.57	84135	9.95	-52.44
वि.व.11	1142922	35.17	76031	6.65	-9.63
वि.व.12	1459281	28.16	79343	5.43	4.36
वि.व.13	1634319	11.48	92089	5.63	16.06
वि.व.14	1905011	16.56	82072	4.30	-10.87

स्रोत: वाणिज्य विभाग की 2013-14 का एक्जिम डाटा और वार्षिक रिपोर्ट

2009-10 से 2012-13 के दौरान ईओयू द्वारा निर्यात जैसा निर्यात संवर्धन परिषद (₹ 83,700 करोड़, ₹ 59,824 करोड़, ₹ 79,343 करोड़ और ₹ 65,927 करोड़) द्वारा रिपोर्ट किया गया था डीओसी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से काफी भिन्न है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने देखा कि पूरे निर्यात में ईओयू का शेयर 2010-11 में एक मामूली सुधार को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान कम हुआ है। इसके साथ-साथ ईओयू निर्यात की विकास दर 2013-14 को छोड़कर देश में पूर्ण निर्यात की विकास दर के अनुरूप नहीं है। वास्तव में 2011-12 दौरान यह कम हुआ।

डीसी, एसईईपीजेड मुंबई ने कहा कि ईओयू से निर्यात के खराब विकास के लिये जिम्मेदार मुख्य कारक आयकर अधिनियम 1961 (1 अप्रैल 2011 से लागू) की धारा 10बी के अंतर्गत आयकर लाभ को हटाना, निर्यात उत्पादों पर लाभ मार्जिन को कम करना, सेज जहां समान निर्यात लाभ बिना किसी घरेलू सेल सीमा के घरेलू इकाई उपलब्ध है जैसी अधिक आकर्षक योजना है। इसी प्रकार के विचार पणधारकों (छोटे, मध्यम और बड़े ईओयू) द्वारा भी दोहराये गये। लेखापरीक्षा ने देखा कि जब ईओयू द्वारा निर्यात कम हो रहा है, उसी अवधि के दौरान, सेज का निर्यात बढ़ा जैसा नीचे तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3: सेज का निष्पादन

₹ करोड़ में

वर्ष	ईओयू से निर्यात	सेज से निर्यात
2008-09	176923	99689
2009-10	84135	220711
2010-11	76031	315868
2011-12	79343	364478
2012-13	92089	476159
2013-14	82072	494077

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 वाणिज्य विभाग

पणधारकों द्वारा एकत्रित अनुसार योजना से ईओयू से बाहर होने का मुख्य कारण परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध है। उनमें से महत्वपूर्ण डीईपीबी के लाभ की अनुपलब्धता, फिरती डीएफआरसी और लक्ष्य प्लस योजना, आदि उपलब्ध न होना, निर्धारण वर्ष अप्रैल 1, 2011 (पूर्व वर्ष 2010-11) आदि से प्रभावी आयकर अधिनियम की धारा 10बी के अंदर आयकर लाभ समाप्त करना हैं। मुख्य ईओयू जो योजना से बाहर हुये में रिलायंस जामनगर, ओरियेंट क्राफ्ट लिमिटेड, ओसवाल कॉटन और स्पिनिंग लिमिटेड, वर्धमान ग्रुप, लुधियाना और नाहार स्पिनिंग मिल्स, राजस्थान शामिल हैं।

ईओयू योजना की समीक्षा/सुधार के लिये श्री एस. सी. पांडा, डीसी, एनएसईजेड (दिसम्बर 2010) की अध्यक्षता में एक समीति बनाई गई थी। वो चयनित पणधारकों के साक्षात्कार के आधार पर अध्ययन था। अपनी रिपोर्ट में समिति ने सरकार की विभिन्न एजेंसियों[4] द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली 41 सिफारिशें की। डीओसी ने केवल सात सिफारिशों को स्वीकार किया।

समिति ने अपनी सिफारिशों का कोई भी प्रभावी अध्ययन नहीं किया था चाहे राजकोषीय, प्रक्रियात्मक प्रकृति या एफटीपी से संबंधित हो। सरकार के लिये राजस्व निहितार्थ और ईओयू के लिये लागत निहितार्थ की न तो गणना की गई न ही अनुमान लगाया गया। न तो समिति द्वारा अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी और न ही कोई परिणामी माप का सुझाव दिया गया था। ईओयू की तुलना में सेज या डीटीए निर्यात के अनूठे लाभ का समिति, डीजीएफटी, डीओसी या सीबीईसी द्वारा मौजूदा योजना एफटीपी/वित्त की जोडने के लिये तुलनात्मक लागत अध्ययन नहीं किया गया था।

भारत सरकार ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 32,932 करोड़ की राशि का महत्वपूर्ण सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व को छोड़ा जैसा नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका 4: छोड़ा गया शुल्क

वर्ष	छोड़े गये शुल्क की राशि (₹ करोड़ में)
2009-10	8076
2010-11	8580
2011-12	4555
2012-13	5881
2013-14	5840

[4] सीबीडीटी, डीओआर, राज्य सरकार, डीजीएफटी और डीओसी

यद्यपि वित्तीय वर्ष 13 और वित्तीय वर्ष 14 (₹ 5800 करोड़) में योजना पर छोड़ा गया शुल्क स्थिर रहा, ईओयू द्वारा निर्यात वित्तीय वर्ष 13 के निर्यात से वित्तीय वर्ष 14 में 11 प्रतिशत तक कम हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ईओयू योजना सेज योजना जो मानक क्षेत्रीय मॉडल पर बनाई गई है, से अलग थी क्योंकि इसमें विशेष रूप से उद्यमी को राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर किसी भी स्थान पर उसकी निर्माण इकाई की स्थापित करने की छूट देती है, कच्चे माल की उपलब्धता को बराबर करती है, पोर्ट तक पहुँच बनाती है। समुद्रतट क्षेत्र सुविधा मौजूद है, कुशल जन शक्ति की उपलब्धता है, बुनियादी ढांचे की मौजूदगी आदि है। इओयू के उद्यमी निर्यात के लिये अपेक्षित संबद्ध बुनियादी ढांचे के साथ अपनी इकाई स्थापित करने में निवेश करते है; वो विशेष भौगोलिक क्षेत्र जहां निर्माण नियंत्रक और भंडारण बुनियादि ढांचे का निर्माण होता है, जैसा की सेज के मामले में प्रतिबंधित नहीं है।

उनकी लचक और अनोखी स्थिति के कारण, 1980, 1990 और 2000 दशक के मध्य तक विकसित ईओयू योजना ने साकारात्मक विकास के लिये इकाईयों के तकनीकी और कौशल प्लवन, आर्थिक संयोजन और भिन्नता के माध्यम से घरेलू उद्यम में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में सहायता करी। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में ईओयू से निर्यात के प्रति सेज से निर्यात में वृद्धि हुई है। सेज की निष्पादन लेखापरीक्षा (सेज के निष्पादन पर 2014 की सी एवं एजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 21) में आपत्तियों द्वारा यह सिद्ध किया गया है जहां यह देखा गया था कि कुछ ईओयूज तथा एसटीपीआईज बन्द हो गई थी तथा अपनी वृद्धि देयताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के बाद सेज को वेस हस्तांतरित कर दिया था।

2.3 योजना का विश्लेषण

श्री एस.सी. पाण्डा समिति की रिपोर्ट चयनित पण धारकों के साक्षात्कारों, एफटीपी तथा एचबीपी के अध्ययन, एफटी (डी एण्ड आर) अधिनियम, सीमा शुल्कों, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर नियमों, डीओसी की नीतिगत योजना पर आधारित थी। समान रूप से निर्यात[5] को बढ़ावा देने के लिए योजना पर डीओसी की दूसरी रिपोर्ट उसी समय तैयार की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ईओयू की समग्र कार्यवाही, सामग्री/सेवाओं को खदीने/निर्यात करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों से अनुमति लेना तथा दावों यथा रिबेट, सीएसटी इत्यादि की मंजूरी प्राप्त करना मुख्य कठिनाईयां मानी गई है। यह

[5] डीओसी की कार्यकारी दल रिपोर्ट, भारत के विनिर्माण निर्यात को तीव्र करना (2012-17)।

डीटीए में कार्य कर रहे निर्यातकों के लिए कुछ निर्यात प्रलोभनों को बढ़ाने के कारण था जिसने अन्नतः ईओयू योजना में कार्य कर रहे निर्यातकों के लिए एक हतोत्साहन के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया था किः

- वर्तमान योजना एक लाभ संबंधी प्रलोभन है। पूंजी तथा इकाई को स्थापित करने तथा यूनिट को आगे चलाने के दौरान इकाई द्वारा वहन किये गये राजस्व व्यय पर कोई प्रोत्साहन अनुमत नहीं था। इकाई कारोबार लाभों पर आयकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।
- ईकाई को डीटीए से आयात/खरीद पर शुल्क, करों आदि का भुगतान करना होता है जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायी की पूंजी का अवरोधन होता है। समान रूप से, ईओयूज को सेवा कर का क्रेडिट तथा इनपुट पर भुगतान किये गए सीएसटी का प्रतिदाय अनुमत है जो ईकाई के साथ साथ विभाग के लिए एक कठिन प्रक्रिया है।
- कई सारे निकाय (यूएसी, बीओए तथा पीआरसी) इओयू की स्थापना के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन कर रहे हैं। अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने के लिए तंत्र को सरल करने की आवश्यकता है।
- ईओयू में माल तथा सेवाओं के प्रयोग को एलओपी की वैद्यता अवधि से नहीं मिलाया गया है।
- ईओयू द्वारा डीटीए बिक्री को पुनर्गठित नहीं किया गया है, समान माल की परिभाषा में अस्पष्टता है।
- ईओयूज को मान्य निर्यात आपूर्तियों के मामले में सेज/डीटीए की तुलना में तुलनात्मक हानि है जैसा सेज/डीटीए के मामले में है।
- ईओयू को नियत कार्य के लिए अनुमति प्राप्त करनी होती है जो समय लेने वाला है तथा ईओयू की लागत में संवर्धन करता है।

सरकार को अपनी नीतिगत योजना (डीओसी) की तुलना मे 2013-14 में अपने निर्यात लक्ष्य के लगभग 33 प्रतिशत तक (यूएस $150 अरब) कम लाभ प्राप्त हुआ। एफटीपी (2009-14) को इसके कार्यकाल से अधिक प्रचालिक किया जा रहा है और इओयू योजना ना तो उद्यमी प्राप्त कर सकी और ना ही वृद्धि में योगदान दे सकी जैसाकि पर्याप्त शुल्क को छोड़ते समय परिकल्पित था।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी एवं फरवरी 2015) में इस तथ्य को स्वीकार किया कि ईओयूज ईओयू योजना से हट रहीं है, डीओसी ने बताया कि यह मुख्यतः 1.4.2011 से आयकर लाभ के बन्द हो जाने के कारण था। एक

निर्यातक अनुबद्ध क्षेत्र में केवल तभी कार्य करेगा जब उसे कुछ अतिरिक्त लाभ हों। चूंकि डीटीए में कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात, पूंजीगत माल का शुल्क मुक्त आयात तथा अध्याय 3 के लाभ उपलब्ध हैं, इसलिए निर्यातकों को ईओयू योजना कम आकर्षक लगी।

सिफारिश सं. 1 *मंत्रालय विशिष्ट घटनाक्रमों तथा परिमेय परिणामों में गिरावट को रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरू करे ताकि योजना की विशिष्टता का उपयोग करते हुए निर्यात में वृद्धि के लिए आधार भूत उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।*

अध्याय 3: आन्तरिक नियंत्रण, लेखापरीक्षा तथा निगरानी

3.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था

डीओसी द्वारा इओयू योजना के कार्यान्वयन से पहले कोई प्रभाव निर्धारण नहीं किया गया था। इओयू योजना के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा मे सेज अधिनियम के कार्यान्वयन के समय कोई मध्यावधि मूल्यांकन नहीं किया गया था। हालांकि इओयू योजना को कई वर्ष पूर्व शुरू किया गया था और इओयूज को पर्याप्त रियायते विस्तारित की गई थी फिर भी इओयूज की कार्यप्रणाली के विहंगावलोकन में सहायता करने के लिए एमओसी एण्ड आई में कोई संरचनात्मक आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र नहीं है। संचरित आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव ईओयूज द्वारा तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति का पता न लगने के जोखिम से भरा है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रशासन से संबंधित क्षेत्राधिकारी आयुक्तालयों को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

इकाईयों की कार्यप्रणाली और निष्पादन की वार्षिक मॉनिटरिंग इकाईयों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक विवरणियों के माध्यम से डीसीज द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, डीसीज इकाईयों के दायित्वों को पूरा करने के लिए चूककर्ता इकाईयों को समर्थ बनाने हेतु डीओसी को सुधारात्मक उपायों की सूचना/सुझाव देते है।

ईओयूज की सूचना डीओसी/ईपीसी/ईओओ की विश्वसनीय वेबसाईट पर दर्शायी तथा डाली नहीं गई है, अतः ये लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

न तो सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक (डीईए) ने और न ही मुख्य लेखा नियंत्रक (डीओसी) ने इओयू योजना की लेखापरीक्षा की है।

डीओसी ने फरवरी 2015 में स्वीकार किया कि अब तक ना तो क्षेत्रीय स्तर पर ईओयूज की आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई है एवं न ही 2009-10 से 2013-14 के दौरान नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा द्वारा कोई लेखापरीक्षा की गई है।

सिफारिश सं. 2: *डीओसी इओयू योजना की नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा की एक प्रणाली को संस्थागत करे और विश्वसनीय वेबसाइट पर अद्यतित डाटा को संग्रह, साफ, मिलान तथा सूचित करने के लिए उपाय करे।*

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) मे बताया कि एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-जी के अनुसार आरबीआई निर्देशों के अनुसार डीसी को

आरबीआई के संबंधित जीएम के साथ समन्वय मे ईओयू के विदेशी विनिमय वसूली/प्रेषणों की निगरानी करनी है।

- वर्तमान में, संबंधित क्षेत्रों द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त सीएज की सहायता से डीसी द्वारा एपीआरज की जांच की जाती है।
- क्षेत्रीय डीसीज को ईओयूज की निर्यात एवं आयात का वर्ष वार डाटा क्षेत्र प्रशासन की वेबसाइट पर डालने के लिए निर्देश दिये गए है।
- आन्तरिक लेखापीक्षा के लिए संस्थागत ढांचा डीओसी द्वारा बनाया जाना है।

यद्यपि डीओसी द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.2 वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर)

एचबीपी खण्ड-I निर्धारित प्रपत्र में ईओयूज द्वारा एपीआर की प्रस्तुति निर्धारित करता है जहां ईओयूज की रिपोर्ट में कच्चे माल/पूंजीगत माल की खरीद, विदेशी के साथ साथ आयातित, स्थानीय बिक्री के साथ साथ निर्यात इत्यादि हों। एपीआर एक साधन है जिसके माध्यम से यूएसी ईओयूज की निगरानी करता है। प्रत्येक ईओयू को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर एक एपीआर प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें विफल होने पर आगे आयात तथा डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2.1 एपीआर दर्ज ना/विलम्ब से कराना

डीसी एसइइपीजेड मुम्बई, डीसी एनएसईजेड नोयडा तथा डीसी वीएसईजेड, विशाखापत्तनम के कार्यालयों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से 948 एपीआरज को दर्ज कराने में 1 माह से 20 माह तक के विलम्ब का पता चला। एसईईपीजेड, मुम्बई में, 57 प्रतिशत मामलों में एपीआर दर्ज कराने में विलम्ब था (2009-13 के दौरान दर्ज 1615 एपीआरज में से 925 मामले)।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 419 ईओयूज (क्रमश: एसईईपीजेड मुम्बई 128 इकाईयां, एनएसईजेड नोयडा में 286 इकाईयां, तथा फाल्टा कोलकाता में पांच इकाईयां) ने 2009-14 की अवधि के दौरान ना तो एपीआर दर्ज कराई थी एवं न ही औपचारिक रूप से डी-बान्ड हुई थीं। एपीआर दर्ज ना कराने के एक ऐसे मामले पर नीचे चर्चा की गई है।

बाक्स 1 वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) दर्ज कराने पर निदर्शी मामला

एनएसईजेड, नोयडा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मै. परमेश्वर क्रियेशंस प्रा.लि. ने डीटीए से ईओयू में रूपान्तरण हेतु आवेदन किया (अक्तूबर 2005)। डीसी, नोयडा सेज ने मार्च 2006 में एलओपी जारी किया। एलओपी की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार, इकाई को डीसी, नोयडा सेज को एपीआर प्रस्तुत करना तथा ईओयू हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक था। इकाई ने 2011-12 तक ना तो कोई एपीआर प्रस्तुत की तथा न ही ईओयू के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास पंजीकरण प्राप्त किया। विधिक बचनवद्धता (एलयूटी) पर भी हस्ताक्षर नहीं किये गए थे। ईकाई को आयकर अधिनियम की धारा 10बी के तहत ₹ 1.40 करोड़ की छूट अनुमत की गई थी। विकास आयुक्त, एनएसईजेड, नोयडा ने ₹ 75 लाख की शास्ति लगाते हुए एलओपी निरस्त कर दिया (अक्तूबर 2013)। यद्यपि, आईटी अधिनियम की धारा 10बी (नवम्बर 2014) के तहत प्राप्त किया गया आईटी लाभ वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में बताया कि इकाई ने ₹ 75 लाख में से ₹ 15 लाख (20 प्रतिशत) की शास्ति जमा कराई है तथा डीसी के मूल आदेश (ओ-आई-ओ) के विरूद्ध डीओसी में अपील दर्ज की है।

हालांकि डीओसी द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी तथा फरवरी 2015) कि एपीआर को समय पर दर्ज करना सुनिश्चित करने के लिए सभी डीसीज को निर्देश जारी किये जा रहे है।

3.2.2 एपीआर तथा उत्पाद शुल्क डाटा के आंकड़े बेमेल होना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए उपलब्ध कराए आयात तथा निर्यात के डाटा तथा इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई एपीआर में डाटा के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि सात इकाईयों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के आंकड़े तथा डीसी को इकाईयों द्वारा बताए गए आयात तथा निर्यात के आंकड़े बेमेल थे।

तालिका 5: बेमेल आयात डाटा

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम (मै.)	विकास आयुक्त	अवधि	डीसी द्वारा उपलब्ध कराया गया आयात डाटा	उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार आयात डाटा
एएसबी इन्टरनेशनल	एसईईपीजेड, मुम्बई	2009-10 से 2012-13	354	428.37
एआर सलफोनेट्स	एसईईपीजेड, मुम्बई	2009-10 से 2012-13	372.04	385.18
सेन्डविक एशिया यूनिट II	एसईईपीजेड, मुम्बई	2009-10 से 2012-13	247.08	856.62
बीईएल ओपट्रोनिक्स	एसईईपीजेड, मुम्बई	2009-10 से 2012-13	300.63	328.14
सेनटेक एक्जिम प्रा. लि.	एनएसईजेड नोएडा	2009-10 से 2012-13	0.36	0
पी.पी. ज्वेलर्स (निर्यात)	एनएसईजेड नोएडा	2009-10 से 2012-13	566.81	386.15
पी.सी. ज्वेलर्स	एनएसईजेड नोएडा	2009-10 से 2011-12	159.91	7.08
एलवियन कान्सलटिंग प्रा. लि.	एनएसईजेड नोएडा	2009-10 से 2011-12	1.16	1.05
विप्रो लिमिटेड जसोला	एनएसईजेड नोएडा	2010-11 से 2012-13	38.75	8.05

उपरोक्त मामलों में एनएफई पूरा करने पर गलत निर्णय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

पिछली पीए रिपोर्ट (2007 की सं. 7) में भी समान आपत्ति की गई थी, तथापि विभाग में उसका कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में बताया कि वर्तमान नीति में एपीआर डाटा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डाटा के प्रति सत्यापन हेतु कोई प्रावधान अथवा तरीका नहीं है। हालांकि, आंकड़ों के समाधान हेतु, क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से तथ्यात्मक स्थिति रिपोर्ट मंगवाई गई है।

डीओसी एपीआर डाटा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डाटा के प्रतिसत्यापन हेतु तंत्र निर्धारित करने पर विचार करे।

3.2.3 एपीआर में ना दर्शायी गई ईओयूज द्वारा घरेलू खरीद (डीटीए इकाईयों द्वारा मान्य निर्यात)

दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 23/2003 सीई के नीचे दी गई व्याख्या के अनुसार, एफटीपी के पैराग्राफ 8.3 (ए) तथा (बी) के तहत प्राप्त किये गये मान्य निर्यात के लाभ के अन्तर्गत डीटीए से प्राप्त माल आयातित माल माना जाना चाहिए।

एपीआरज की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि एनएफई की गणना के लिए अकेले विदेशी विनिमय वाले आयात सूचित किये गए है तथा उन पर विचार किया गया था माल का आयात करने के अलावा, ईओयूज घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं से भी कच्चे माल की खरीद करती हैं। हालांकि, इओयू इकाईयों द्वारा की गई घरेलू खरीद को एपीआरज में आयातों के रूप में नहीं बताया गया है जबकि ये उपर दर्शायी गई अधिसूचना के तहत आयात के रूप में पात्र हैं। इसके अतिरिक्त आयात तथा इकाई द्वारा की गई घरेलू खरीद में छोड़े गए शुल्क को क्यूपीआर/एपीआरज में भी ग्रहण नहीं किया गया था।

13 मामलों में, डीटीए से स्वदेशी इनपुटों की खरीद ₹ 549.50 करोड़ राशि की है जहां इओयूज को की गई आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं ने डीम्ड निर्यात लाभ का दावा किया, ईओयूज द्वार एपीआरज में बताया नहीं गया।

हमारे विचार से, शुल्क मुक्त आयात/स्वदेशी खरीद उपलब्ध कराने के लिए राजकोष पर लागत को निर्यात निष्पादन के माध्यम से प्रोदभूत वास्तविक लाभ के विश्लेषण हेतु ग्रहण किये जाने की आवश्यकता है। डीओसी एफटीपी के गठन के लिए मुख्यत: उत्तरदायी है। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर

सकता है कि घरेलू खरीद तथा इससे संबंधित छोड़े गए शुल्क को शामिल करने की सीमा तक क्यूपीआर/एपीआरज के प्रफोर्मा को संशोधित किया जा सके।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में बताया कि दिनांक 31.03.2003 तथा 6.7.2007 की अधिसूचना की व्याख्या-II के अनुसार, एफटीपी के पैराग्राफ 8.3 (ए) तथा (बी) के तहत लाभों के अन्तर्गत डीटीए से प्राप्त माल तथा किसी ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी से प्राप्त माल आयातित माल समझा जाएगा।

भारत में विनिर्मित माल, जब डीटीए से एक ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी/बीटीपी इकाई को आपूर्ति किया जाता है तो 'मान्य निर्यात' माना जाता है। ऐसी आपूर्तियों के लिए डीटीए आपूर्तिकर्त्ता एफटीपी के अन्तर्गत किसी/सभी लाभों के लिए पात्र है। डीटीए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ऐसे लाभों का दावा ना किये जाने पर, ये लाभ माल के प्राप्तकर्त्ता द्वारा दावा किये जा सकते हैं।

अतः, ईओयू/एसटीपी/एचटीपी/बीटीपी इकाई द्वारा ऐसे माल से विनिर्मित माल केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान द्वारा डीटीए में निकासी पर लाभ प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी कच्चे माल से विनिर्मित माल नहीं माना जा सकता।

एफटीपी के अध्याय 8 के अन्तर्गत डीटीए इकाई द्वारा की गई आपूर्तियां को केवल डीटीए बिक्री पर शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से आयातित माल समझा गया है।

लेखापरीक्षा तर्क है कि डीम्ड निर्यात के लाभों के अन्तर्गत डीटीए से एक ईओयू द्वारा प्राप्त माल प्रत्यक्ष आयातों के साथ एपीआर में दर्शाया जाना चाहिए जिसे पर एनएफई की गणना के उद्देश्य से भी विचार किया जाना चाहिए। दिनांक 6.7.2007 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना की व्याख्या 2 इस संबंध में विशिष्ट हैं। हालांकि, उक्त अधिसूचना ईओयू द्वारा डीटीए में बेचे गए तैयार उत्पाद पर शुल्क की प्रभार्यता हेतु अनुप्रयोज्य है, ना कि एनएफई की गणना के उद्देश्य हेतु। डीटीए द्वारा की गई आपूर्तियाँ भारतीय रूपये में है तथा विदेशी विनिमय का बाह्रय प्रवाह नहीं हैं, अतः विदेशी व्यापार नीति के अन्तर्गत आयात नहीं माना गया है।

सिफारिश सं.3: *डीओसी यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करे कि एपीआरज समय पर प्रस्तुत की गई है तथा इन रिपोर्टों में जो इओयूज के निष्पादन की, निगरानी हेतु बनी है, ना केवल निर्यात बल्कि छोड़े गए शुल्क, निर्यात को सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा डीटीए बिक्री के बारे में भी सभी महत्वपूर्ण डाटा हो।*

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2015) में बताया कि ईओयूज द्वारा समय से एपीआर दर्ज कराना सुनिश्चित करने के लिए सभी डीसीज को निर्देश जारी किये जा रहे हैं। छोड़े गए शुल्क के डाटा हेतु एक कॉलम शामिल करने के लिए एपीआर फार्मेट को संशोधित करने के मुद्दे की संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ सलाह से जांच की जाएगी।

अध्याय 4: अननुपालना तथा नीति के मिथ्या प्रस्तुतीकरण करण के मामले

4.1 डीटीए बिक्री

डीसी मुम्बई, कोचीन, नोएडा, काण्डला, फाल्टा तथा कोचीन के अन्तर्गत 48 मामलों में ईओयूज द्वारा अनियमित/गलत डीटीए बिक्रियां देखी गई थी जिनमें ₹ 62.52 करोड़ के शुल्क का कम/गैर उदग्रहण शामिल है जैसा नीचे उदाहरण दिया गया है।

4.1.1 डीटीए में अनुमत सीमाओं से अधिक उत्पादों की निकासी

एफटीपी (2009-14) के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अनुसार, कीमती पत्थर तथा आभूषण इकाईयों से अलग ईकाईयां,सकारात्मक एनएफई को पूरा करने की शर्त पर रियायती शुल्कों के भुगतान पर निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल बेच सकती हैं। डीटीए बिक्री की हकदारी के अन्दर, इकाई उस माल के समान अपने उत्पाद डीटीए में बेच सकती हैं जो इकाईयों से निर्यात किये गए है अथवा निर्यात होने वाले है। जो इकाईयां एक से अधिक उत्पादों का विनिर्माण तथा निर्यात कर रही हैं,वे इस शर्त के अधीन कि कुल डीटीए बिक्री समग्र हकदारी से अधिक नहीं है, विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक, इनमें से किसी उत्पाद को डीटीए में बेच सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एसईईपीजेड तथा सीएसईजेड के अन्तर्गत नौ ईओयूज के मामले में, इकाईयों ने शुल्क की रियायती दर पर एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक अकेले उत्पाद डीटीए में निकासी कराए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.03 करोड़ की राशि के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ। इसी प्रकार, एसपीईईजेड के अन्तर्गत दूसरी इकाई ने निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक की डीटीए निकासी की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.90 लाख की राशि के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ। कुछ मामले नीचे दर्शाये गए हैं।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी2015) में बताया कि मामले जांच तथा वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकारिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को अग्रेषित किये गए है।

बाक्स 2 डीटीए को अधिक निकासी का निदर्शी मामला

एक 100 प्रतिशत ईओयू, मै. एक्सीओम कोरडेजेज लि, बोईसर, महाराष्ट्र को एचडीपीई/पीपी रस्सियों तथा एचडीपीई/एलडीपीई/पीपी धागे (गुथे) के विनिर्माण के लिए जनवरी 2002 में एलओपी जारी किया गया था। जहां रस्सियां अधिकतर निर्यात की गई थीं, वहीं धागे की डीटीए में निकासी शुल्क की रियायती दर के भुगतान पर की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि धागे के संबंध में पिछले चार वर्षो के दौरान निर्यात का एफओबी मूल्य केवल ₹ 50.01 लाख था, जबकि डीटीए में ₹ 394.72 करोड़ के धागे की निकासी की गई थी। इकाई द्वारा निर्यात किया गया दूसरा उत्पाद एचडीपीई/एलडीपीई/पीपी रस्सियां थीं जिन्हें गुथे हुए धागे के समान नही कहा जा सकता क्योंकि गुथे हुए धागे की तुलना में उनके अलग वर्गीकरण शीर्षक हैं तथा अलग वाणिज्यिक उपयोग हैं। अत: डीटीए में निकासी किया गया उत्पाद निर्यात किये गए माल के समान नहीं था, इकाई एचडीपीई/एलडीपीई/पीपी धागे (मुड़े हुए) की निकासी के लिए शुल्क की रियायती दर का भुगतान करने की हकदार नहीं थी। 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान धागे की डीटीए निकासी पर अन्तरीय भुगतान योग्य शुल्क ₹ 11.20 करोड़ बनता था।

विभाग ने सूचित किया कि 6 मई 2014 को ₹ 13.40 करोड़ के लिए मांग ज्ञापन जारी कर दिया था।

अन्य मामले में मै. वीवीएफ लिमिटेड (100 प्रतिशत ईओयू) तलोजा को जनवरी 2003 में लोरेल शराब, मिसरिस्टिल शराब, फैटी एसिड, टायलेट साबुन, मोनोकारबोक्सिलिक एसिड इत्यादि के निर्माण और निर्यात के लिए एलओपी जारी की गई थी। उसके उत्पादों मे से एक अर्थात् सोप नूडल्स (सोडियम साल्ट मोनोकारबोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है) को डीटीए में बिक्री की गई । 2008-09 से 2010-11 के वर्षों के दौरान यूनिट ने डीटीए में ₹ 60.77 करोड़ की राशि तक के अन्तिम उत्पादों की बिक्री की। हालांकि, एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अनुसार डीटीए निकासी हकदारी से अधिक थी।

इस प्रकार, वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 42.20 करोड़ की राशि के माल की अधिक निकासी हुई थी। विभाग ने आपत्तियों की स्वीकारते हुए बताया (अप्रैल 2014) कि एक एसएसीएन जारी किया जा रहा हैं।

इसी प्रकार मै. सिपला लि. (यूनिट II) डीसी, सीपज़ के अन्तर्गत एक ईओयू ने विशिष्ट नामों के साथ 'एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रिडियेंटस एडं फार्मूलेशन' का निर्माण किया और 2009-10 में डीटीए में थोक ड्रग (2 ऐमिनो 5 मिथाइल थाज़ोल-संसोधित, 7 क्लरों 6 फ्लर और कार्बोज़ाइलिक, माइकोफिनोलेट मोफेटिल, पेंटोप्राज़ोल सोडियम सोसकिहाइड्रेट एसएमके (एन) और जिडोवूडाइन की निकासी शुल्क रियायती दर पर की। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूनिट ने इस माल का निर्यात नहीं किया था। इसलिए, डीटीए में रियायती दर पर निर्मित माल का पूरी मात्रा की निकासी अनियमित थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.87 लाख का कम शुल्क लगाया गया।

डीसी, सीपज़ ने बताया (अप्रैल 2013) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने 2009-10 और 2010-11 की अवधि के लिए यूनिट द्वारा विरोध के तहत ₹ 36.65 लाख के अंतरीय शुल्क के भुगतान की सूचना दी थी।

अन्तिम परिणाम की सूचना लेखापरीक्षा को दी जा सकती है।

4.1.2 डीटीए में अन्तिम उत्पादों की मंजूरी पर अनियमित छूटों का लाभ होना

(क) दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना 23/2003-सीई की क्र. सं. 3 के अनुसार, उन ईओयूज के मामले में, जहां भारत में उत्पादित या निर्मित कच्चे माल से पूरे माल का उत्पादन या निर्माण होता है और माल को डीटीए में निकासी की जाती है, तो केवल लागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय है अन्यथा लागू सीमा शुल्क देय है, अन्य शब्दों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का लाभ लेने के लिए यूनिट द्वारा स्वदेशी के साथ साथ आयातित इनपुटों के लिए पृथक खातों का रखरखाव किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 ईओयू यूनिटों में स्वदेशी और आयतित इनपुटों के लिए पृथक खातों का रखरखाव नही किया जा रहा था और लागू सीमा शुल्क के बजाय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर माल को डीटीए में निकासी की गई थी। इसके परिणास्वरूप ₹ 1.88 करोड़ की राशि का सीमा शुल्क कम लगाया गया। चार मामलों में विभाग ने ₹ 0.50 करोड़ की वसूली की सूचना दी थी।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 एक ईओयू द्वारा उत्पादित या निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर और डीटीए में मंजूरी पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान करता है। धारा 3 यह भी प्रावधान करता है कि उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य हेतु मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

डीसी, एसईईपीज़ेड सेज़ के तहत एक ईओयू मै. गाला प्रिसिजिस टेक्नोलाजी लि. अपने उत्पाद के एक भाग की निकासी अपनी डीटीए यूनिट (संबंधित कम्पनी) को एक भाग की निकासी लागत जमा दस प्रतिशत के आधार पर निर्धारित मूल्य पर रियायती शुल्क के भुगतान पर कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीटीए यूनिट वही उत्पाद 27 से 42 प्रतिशत तक की डीटीए यूनिट के ईओयू से निकासी के लिए लागू यूनिट कीमत की तुलना में उच्च दर पर बेच रहा था। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि डीटीए में ईओयू से मंजूर उत्पादों पर कुछ मूल्य संवर्धन किया जाता है, जिसके मामले में डीटीए को मंजूर ईओयू माल, ईओयू यूनिट द्वारा निर्यातित माल के समान नहीं थे। इस लिए यूनिट ऐसे माल को शुल्क की रियायती दर पर मंजूर करने की हकदार नहीं थी।

इस पर विचार करते हुए कि डीटीए यूनिट ईओयू द्वारा निर्यातित एक समान माल की निकासी कर रही है। तो डीटीए बिक्री के समय रियायती शुल्क की गणना के उद्देश्य हेतु डीटीए यूनिटों को ईओयू द्वारा बेचे गए ऐसे माल का मूल्यांकन डीटीए यूनिट द्वारा लागू यूनिट कीमत के समान होना चाहिए। इस प्रकार, डीटीए बिक्री के समय माल के कम मूल्यांकन की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

इस पर ध्यान दिलाने पर विभाग ने मई 2014 में यूनिट को ₹ 15.40 लाख का कारण बताओं कम मांग नोटिस जारी किया।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2015) कि ममला क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को जांच और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित किया गया है।

4.1.3 एफटीपी के प्रावधानों के उल्लंघन में डीटीए में मार्बल की निकासी /बिक्री

डीटीए में ईओयू द्वारा आयातित मार्बल की बिक्री एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 6.8 (ए) और (एच) के तहत निषिद्ध हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विकास आयुक्त एनएसईज़ड नोएडा के क्षेत्राधिकार के तहत मै. जैन ग्रानी मर्मो प्रा. लि. ने एफटीपी/एलओपी के प्रावधानों के उल्लंघन में मार्बल स्लैब की निकासी की, अप्रैल 2011 मई 2012 के दौरान डीटीए में ₹ 36.70 करोड़ के मार्बल ड्रेसड किए।

विभाग एफटीपी/एलओपी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ईओयू के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने मे विफल रहा।

डोओसी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी और फरवरी 2015) कि प्रासंगिक अवधि के लिए प्रस्तुत एपीआर के अनुसार, पैराग्राफ 6.8 (ए) और (एच) के तहत कोई डीटीएच निकासी नहीं दर्शायी गई है। इस यूनिट द्वारा दी गई एकमात्र डीटीए निकासी एफटीपी के पैराग्राफ 6.9(बी) के तहत थी। इस प्रकार, यह निकासी यूनिट के साथ साथ क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सत्यापित की जा रही है इस निकासी से संबंधित सूचना के स्रोत के रूप में यह निकासी लेखापरीक्षा आपत्तियों से स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त यूनिट को पैराग्राफ 6.9 के तहत मानवीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा 11.12.2009 तक रिट याचिका की समाप्ति तक (नवम्बर 2013) विदेशी विप्रेषण के प्रति डीटीए बिक्री की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि, यदि

अन्ततः याचिकाकर्त्ता किसी अन्य प्रभाव का दायी माना जाता है, तो वह उन परिणामों को भुगतने के लिए एक वचनबद्धता देगा।

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के उपरोक्त उद्धरित निर्णय की एक प्रति, मामले की मौजूदा स्थिति और विदेशी विनिमय विप्रेषण का विवरण जिनके प्रति डीटीए बिक्री की गई थी को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

4.1.4 डीटीए में स्क्रैप की बिक्री पर शुल्क का कम भुगतान

एफटीपी (2009-14) के पैराग्राफ 6.8(ई) के अनुसार, एक ईओयू उत्पादन प्रक्रिया या उसके संबंध में उत्पन्न स्क्रैप/अपशिष्ट/शेष की निकासी के लिए डीटीए में बिक्री रियायती शुल्कों के भुगतान पर, जैसा लागू हो, निर्यातों के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत की पूर्ण उच्चतम सीमा में कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसईईपीज़ेड मुम्बई, के तहत तीन यूनिटों[6] ने दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 23/2003 की क्रम सं. 2 की शर्तों में शुल्क की रियायती दर पर स्क्रैप की डीटीए में निकासी की। माल की निकासी करते समय यूनिटों ने अधिसूचना सं. 83/2004 और 21/2002 की क्रम सं. 200 जो मेल्टिंग स्क्रेप पर लागू है के तहत बीसीडी की पूर्ण छूट का दावा किया। तथापि, इन यूनिटों में उत्पादित स्क्रैप (टर्निंग) मेल्टिंग के लिए निकासी नही की गई थी, इस प्रकार यूनिटें बीसीडी की पूर्ण छूट की हकदार नहीं थी। गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 13.19 लाख की शुल्क राशि का कम उदग्रहण हुआ।

विभाग ने दो मामलो में ₹ 10.89 लाख की वसूली की सूचना दी (जुलाई 2014)।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि चूंकि ईओयू में शुल्क क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा लगाया गया है, लेखापरीक्षा की आपत्ति उन्हें संदर्भित की गई है और टिप्पणी की प्राप्ति के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

अन्तिम परिणाम की सूचना लेखापरीक्षा को दे दी जाएगी।

4.1.5 डीटीए में की गई निकासी पर एसएडी का भुगतान न करना

दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 23/2003-सीई की क्रम सं. 1 के अनुसार एक ईएयू द्वारा डीटीए मंजूरी के मामले में विशेष अतिरिक्त सीमा

[6] डीसी एसईईपीज़ेड, सेज मुम्बई के तहत मै. मैगनम फोर्ज एवं मशीन वर्क्स प्रा. लि., मै. वर्ल्डवाइड आयलफील्डस मशीन प्रा. लि. और मै. सुताती एंटरप्राइसेस लि.

शुल्क (एसएडी) उद्ग्राह्य है बशर्ते डीटीए में मंजूर माल राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर के भुगतान से छूट प्राप्त न हो।

डीसी मुम्बई, कांडला फाल्टा और चेन्नई, के तहत 16 ईओयू के संबध में संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क विभाग द्वारा डीटीए को कि गई निकासी पर न तो एसएडी और न बिक्री कर/वैट लगाया गया था। भुगतान योगय एसएडी ₹ 22.69 करोड़ निकाला गया था। सात मामलों में डीसी एसईईपीज़ेड और फाल्टा द्वारा ₹ 83.83 लाख की वसूली की सूचना दी गई थी।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए मामलों में उपचारी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

तथापि, डीओसी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4.1.6 डीटीए निकासी पर आनुपातिक एंटी डम्पिंग शुल्क (एडीडी) का भुगतान न करना

एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अनुसार एक ईओयू सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए के तहत, डीटीए को निकासी माल के निर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर आनुपातिक उदग्राह्य एडीडी का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएसईज़ेड कोचीन और एसईईपीज़ेड मुम्बई[7] के तहत दो ईओयू यूनिटों में डीटीए में माल की निकासी ₹ 10.45 लाख के एडीडी के भुगतान के बिना की गई थी।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि एसईईपीज़ेड सेज के अन्तर्गत यूनिट ने एडीडी का भुगतान कर दिया है और सीएसईज़ेड के अन्तर्गत यूनिट के संबंध में बताया कि माल को उनकी उपस्थिति में और क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत नष्ट किया गया था और डीटीए में नहीं बेचा गया था इसलिए शुल्क लागू नहीं है।

तथापि, डीओसी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4.1.7 नकारात्मक एनएफई के बावजूद 100 प्रतिशत ईओयू यूनिटों द्वारा डीटीए की अनियमित बिक्री

एफटीपी (2009-14) के पैराग्राफ 6.8 (एच) के अनुसार 100 प्रतिशत ईओयूज अन्तिम उत्पाद बेच सकते हैं जोकि डीटीए में पूर्ण शुल्कों के भुगतान के प्रति,

---

[7] डीसी एसईईपीज़ेड सेज़, मुम्बई के तहत मै. एमडीबी केमिकल्स (आई) प्रा. लि. डीसी सीएसईज़ेड कोचीन के तहत मै. डीसी मिल्स प्रा. लि.

डीसी को सूचना के अन्तर्गत एफटीपी के तहत मुक्त रूप से आयात योग्य हैं बशर्ते उन्होंने सकारात्मक एनएफई प्राप्त कर ली हो।

डीसी वीसेज, हैदाराबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मै. एमआईसी इलैक्ट्रानिक्स लि. कुशाइगुडं ने 2008-09, 2009-10 और 2012-13 के दौरान संबंधित वर्षों में नकररात्मक एनएफई के बावजूद शुल्क की रियायती दर पर ₹ 5.65 करोड़ की डीटीए बिक्री की। चूंकि, यूनिट शुल्क की रियायती दर पर डीटीए में माल की बिक्री की सकरात्मक एनएफई प्राप्त नहीं कर सकी, यूनिट को पूरे शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था तदनुसार, लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए यूनिट से ₹ 39.79 लाख की आनुपातिक शुल्क की वसूली की जा सकती है।

डीओसी ने आपत्ति को स्वीकारते हुए बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि एफटीपी के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 11.9.2013 को एक एससीएन जारी किया गया था। शुल्कों की वसूली के लिए जैसा कि लेखापरीक्षा में बताया गया है, डीसी वीसेज़ द्वारा क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पहले से ही सूचना दे दी गई है1

तथापि, डीओसी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया था।

सिफारिश सं. 4: *विभाग विकास आयुक्तों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त मानिटरिंग के निर्धारित तंत्र के सुधार करने के साथ-साथ एफटीडीआर/सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर अधिनियम के अनुसार किसी गंभीर अननुपालन के लिए जवाबदेही के निर्धारण के माध्यम से ईओयूज़ द्वारा डीटीए मंज़ूरी के मामले में आन्तरिक नियंत्रण को सुदृढ़ कर सकता हैं।*

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि एफटीपी का परिशिष्ट 14-आई-जी छः माह के आधार पर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ईओयूज़ की संयुक्त निगरानी का प्रावधान करता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क का क्षेत्राधिकारी आयुक्त या उसका नामिती समिति का सदस्य होता है। संयुक्त निगरानी पुनरीक्षा अलावा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्राधिकारी के साथ बैठक भी की जाती है जिसमें अननुपालन या ईओयू द्वारा किसी उल्लंघन की चर्चा की जाती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

तथापि, डीओसी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए गए।

4.1.8 शुल्क के भुगतान के बिना माल की निकासी पर सेनवेट क्रेडिट वापिस न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुसार सेनवेट क्रेडिट इनपुट अथवा इनपुट सेवाओं की मात्रा पर अनुमत नहीं होगा जो छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग की जाती हैं। नियम 6 के उप-नियम 3 (बी) के अनुसार, छूट प्राप्त वस्तुओं के साथ-साथ शुलक योग्य वस्तुओं के विनिर्माता, प्राप्ति विनिर्माताओं के प्रयोग हेतु इनपुट और इनपुट सेवाओं, खपत के लिए अलग से खाता न बनाने वाले निर्माताओं को ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर प्रभारित कुल मुल्य के छः प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना होगा। इस उप-नियम के प्रावधान नियम 6 के उप-नियम 3(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के अलावा शुल्क भुगतान के बिना मंजूरी के सभी मामलों में लागू होते हैं। सीटी-2 प्रमाण पत्रों के प्रति दि. 26 जून 2001 की अधिसूचना के अंतर्गत दी गई निकासी इन छूटों के अंतर्गत नहीं आती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीसी एसईईपीजेड सेज़ मुंबई के अधीन मै. सन फार्मा लि. और मै. फेयरफील्ड एटलस प्रा. लि. ने दिनांक 26 जून 2001 की अधिसूचना के तहत अप्रैल 2011 से मार्च 2014 और अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के दौरान क्रमशः ₹ 14.65 करोड़ तथा ₹ 17.87 करोड़ की राशि की वस्तुओं की निकासी की। चूंकि दिनांक 21 जून 2001 की अधिसूचना के तहत निकासी को शुल्क भुगतान के बिना डीटीए में निकासी के रूप में माना गया इसलिए निकासी वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त इनपुटस पर लिया गया सेनवेट क्रेडिट लागू नहीं था क्योंकि इकाईयों में प्राप्ति खपत और निर्माण में प्रयोग हेतु इनपुट और इनपुट सेवाओं का अलग से लेखा नहीं बनाया था, तदनुसार इकाईयों को डीटीए में निकासी वस्तुओं के मूल्य पर छः प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना था।

छः प्रतिशत की दर से शुल्क की गैर वसूली के कारण ₹ 1.95 करोड़ की राशि के शुल्क की कम वसूली हुई।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि मामलों को जांच करने और तथ्यात्मक रिपोर्ट देने हेतु इन्हें क्षेत्राधिकारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को भेजा गया हैं।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

4.2 ईओयू योजना से निर्गम होते समय शुल्क की कम वसूली

एफटीपी के पैराग्राफ 6.18 में ईओयू योजना से निर्गम होने की प्रक्रिया और शर्त का प्रावधान है। प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क का भुगतान करके डीसी के अनुमोदन से एक ईओयू निर्गम हो सकती है एवं ईओयू को ईओयू योजना के तहत सकारात्मक एनएफई पूरा करने पर डीटीए हेतु ईपीसीजी योजना का लाभ लेने के तहत पूँजीगत वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान पर किसी भी समय योजना से निर्गम होने की अनुमति दी जा सकती है।

डीसी, एसईईपीजेड, एनसेज़ फाल्टा और सीसेज़ के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ईओयू इकाईयों को तैयार माल, तैयार माल के भण्डार, बिना तैयार माल और पूँजीगत वस्तुओं इत्यादि पर मूल्यह्रास अनुमति तथा गलत शुल्क दर अनुमत करते हुए योजना से निर्गम होने की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्परूप ₹ 1.93 करोड़ की राशि का शुल्क कम लगाया गया।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि जांच और वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्राधिकारी को प्रेषित किए गए हैं।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जा सकते हैं।

4.3 सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

(क) दिनांक 29 अप्रैल 2011 का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क परिपत्र कमिशन आधार पर शुल्क योग्य माल की बिक्री की सेवा पर स्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट का प्रावधान करता है। तथापि गुजरात[8] के माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर विचार करते हुए क्रेडिट अस्वीकृत किया कि उक्त सेवा इनपुट सेवा नही थी और इस निर्णय[9] को आगे गुजरात उच्च न्यायालय ने समर्थन दिया जिसमें यह भी कहा गया था कि क्षेत्राधिकारी उच्च न्यायलय का आदेश विभाग पर बाध्य है। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिनांक 29 अप्रैल 2011 का परिपत्र अभी भी लागू था, केन्द्रीय उतपाद शुल्क प्राधिकारियों ने उच्च न्यायलय के निर्णय के अनुसार परिपत्र का संशोधन नही किया है1

---

[8] केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद II बनाम केडिला हेल्थकेयर लि. 2013(30) एसटीआर 3(गुज) (2013-टीआईओएल-12-एचसी-एएचएम-एसटी) के मामले में।

[9] अस्तीक डाइस्टफ प्रा. लि. बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त (कर अपील सं. 2013 का 1078) के मामले में।

डीसी, केसेज़ के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि छः ईओयूज़ ने बिक्री कमिशनों पर भुगतान पर ₹ 1.88 करोड़ की राशि का सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 6: सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ (बिक्री कमीशन)

यूनिट का नाम	क्षेत्राधिकारी प्राधिकारी	लिया गया सेनवेट क्रेडिट (₹ लाख में)
मै.कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड	रेंज I पद्रा डिविजन II वडोदरा I	15.97
मै.केमरॉक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड	रेंज II डिविजन वगोडिया वडोदरा II	68.83
मै.सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	रेंज II डिविजन अंकलेशवर III सूरत II	33.62
मै. जीईए फार्मा लिमिटेड	एआर I डिव. सिटी डिविज़न वडोदरा II	3.89
मै. केएलजे आग्रेनिक लिमिटेड	रेंज IV, डिविजन II, सूरत II	2.09
मै.सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	रेंज III डिविजन वगोडिया वडोदरा II	63.45

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी ने सूचना दी कि 17 सितम्बर 2014 को मै. केडिला हेल्थकेयर को एससीएन जारी कर दिया गया था।

बाकी मामलों में की गई उपचारात्मक कार्रवाई की सूचना दी जा सकती है।

(ख) सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(1) के अनुसार, इनपुट सेवा से वित्त अधिनियम की धारा 66 ई के खण्ड (ख) के तहत सूचीबद्ध सेवा सहित निर्माण कार्य अनुबंध और निर्माण सेवाओं के निष्पादन में सेवा भाग अलग हैं, जहां तक कि वह एक भवन या सिविल संरचना या उसके एक भाग और मोटर वाहन को किराए पर देने द्वारा प्रदत्त सेवा के कार्य अनुबंध के निर्माण या निष्पादन के लिए प्रयोग होते है। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन मामलों में, सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004, के नियम 2 (I) के उल्लंघन में ₹ 28.47 लाख के सेवा कर क्रेडिट का लाभ लिया गया था जैसा नीचे विवरण दिया गया है:-

तालिका 7: सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना (कार्य अनुबंध)

यूनिट का नाम	क्षेत्राधिकारी प्राधिकारी	क्रेडिट किया गया अधिक शुलक (₹ लाख में)
कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड	एआर I डिविजन II वडोदरा I	14.90
असाही सोंगवोन कलर्स लिमिटेड	एआर II डिविजन II वडोदरा I	4.68
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एआर II डिविजन III सूरत II	8.89

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि मै. असाही सोंगवोन, वडोदरा ने ₹ 4.68 लाख जून 2014 में वापस किया और मै. केडिला हेल्थकेयर को एससीएन जारी किया जा रहा है। मै. सन फार्मास्युटिकल

इंडस्ट्रीज लि. ने क्रेडिट वापिस किया मै. सन फार्मास्यूटीकल्स के मामले में क्षेत्रीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से उत्तर अपेक्षित है।

(ग) इसी प्रकार, सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4 के तहत इनपुट की इनपुट निर्माता की फैक्ट्री में प्राप्ति पर आउटपुट सेवा प्रदाता के परिसर में लिया जा सकता है। सिलवासा आयुक्तालय वापी डिविजन III एआर IV के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्राधिकारी प्राधिकारियों के तहत मै. इंटरनेशनल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्रा. लि. प्लांट सं. 380/2 गांव दपोड़ा सिलवासा ने 389/1 गांव सयाली सिलवासा में प्राप्त श्रमबल आपूर्ति के संबंध में ₹ 19.58 लाख के सेवा कर क्रेडिट का लाभ लिया। क्रेडिट का लाभ लेने के लिए निर्माता की फैक्ट्री या आउटपुट सेवा प्रदाता के परिसर में सेवा प्राप्त करना अनिवार्य है। इस मामले में, इनपुट भिन्न स्थानों पर उपयोग किए गए थे। इस प्रकार अनुमत क्रेडिट अनियमित और यूनिट से वसूली योग्य था।

4.4 सेवा कर न लगाना

(क) दिनांक 9 जुलाई 2001 की अधिसूचना सं. 4/2001-एसटी द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस एक्सेस या क्षतिपूर्ति सेवाएं सेवा कर परिधि के अन्तर्गत लाई गई है।

इसके अतिरिक्त सेवा नियामावली 2012 के प्रावधान के स्थान के नियम 9 में परिकल्पित कि सेवा के प्रावधान के स्थान या आनलाइन सूचना के माध्यम से प्रदान सेवा और डाटाबेस एक्सेस या क्षतिपूर्ति सेवा प्रदाता का स्थान होगी।

डीसी, वीसेज़ के तहत मै. माईलान लेबोरेट्रीज लिमिटेड (यूनिट III) (100 प्रतिशत ईओयू) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि इकाई ने जुलाई 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान डोज़ियर[10] बिक्री से ₹ 737.14 करोड़ के बराबर परिवर्तनीय विदेशी विनिमय प्राप्त की थी।

चूंकि यूनिट द्वारा ''डोजियर'' जो कि कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक में विदेशी ग्राहको (प्राप्तकर्ता) को दिया जा रहा है तथा तदनुसार इन्टरनेट या एक इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर आवंटित किया जा रहा है, अतः यह कार्य ''ऑनलाइन इन्फोरमेशन एंड डाटाबेस एस्सेस या क्षतिपूर्ति सेवा'' के तहत आता है।

---

[10] 'डोजियर' एक दस्तावेज है जो सक्रिय फार्मास्युटिकल तत्वों तथा फार्मास्युटिकल संरचनाओं के निर्माण की जाचं के तकनीकी आंकडे देता हैं। डेजियर भौतिक के साथ-साथ अभौतिक के रूप में भी होते हैं जिन्हें सीडी के साथ दस्तावेजीकरण के रूप मे संग्रहित किया जाता है तथा इसे विदेशी ग्राहकों को निर्यात किया गया था।

करयोग्य क्षेत्र (हैदराबाद, भारत) से सेवाएं प्रदान की जाती है तथा प्राप्तकर्ता विदेश में स्थित है और इस कारण से यूनिट द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रभार प्राप्त किया जाता है तथा इसलिए यह सेवाओं के निर्यात की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती। इस प्रकार उक्त नियम 9 के अनुसार सेवा कर सेवा प्रदात्ता यूनिट द्वारा देय होगा।

जुलाई 2012 से मार्च 2014 की समयावधि के लिए डोजियर की बिक्री पर सेवा कर ₹ 91.11 करोड़ निकला जो यूनिट से वसूली योग्य है।

इसी प्रकार, डीसी वीएसईजेड के तहत अन्य ईओयू, मै. ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड, हैदराबाद ने जुलाई 2012 से मार्च 2014 के दौरान विदेशी क्रेताओं को ₹ 4.53 करोड़ की सेवा कर देयता सहित ₹ 36.66 करोड़ की ऐसी ही सेवाएं प्रदान की।

यह बताए जाने पर (अगस्त 2014), विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि मामले की जांच की जाएगी तथा उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। तदपश्चात कोई अन्य उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ए के तहत विदेशी एजेंटो को भुगतान किया गया कमीशन, विदेशी ग्राहको के लिए भारत में भावी ग्राहक खोजने के माध्यम से प्रदान की गई सेवा के कारण आय, प्राप्त किया गया किराया तथा संसाधन प्रभार सेवा कर को आकृष्ट करते है।

डीसी, कांडला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एक ईओयू ने विदेशी ग्राहको के लिए भारत में भावी ग्राहक खोजने के माध्यम से प्रदान की गई सेवा के कारण आय प्राप्त की तथा सीएसईजेड, कोचीन में दो यूनिटो ने धारा 66ए के तहत विदेशी एजेंटो को कमीशन का भुगतान किया तथा अन्य यूनिट में किराया तथा संसाधन प्रभार प्राप्त किया गया तथापि, इन मामलो में कोई सेवा कर उद्धग्रहित नहीं किया गया जैसाकि नीचे वर्णित है।

तालिका 8: सेवा कर का उद्धग्रहण न होना

	डीसी	उद्धग्रहित न होने वाले सेवा कर की राशि (₹ करोड़ में)	
केएएसईजेड गांधीधाम	मै. जीईए फार्मा लि. अहमदाबाद	0.18	विदेशी ग्राहको के लिए भारत में भावी ग्राहक खोजने के माध्यम से प्रदान की गई सेवा के कारण आय प्राप्त की गई।
सीएसईजेड कोच्ची	मै. एवीटी मेकक्रोमीक इन्ग्रीडेंटस प्रा.लि., बाझाकुलम	1.31	वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ए के तहत विदेशी एजेंटो को भुगतान किया गया कमीशन

सीएसईजेड कोच्ची	मै. सीन्थाइट इंडस्ट्रीज लि.	0.07	वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ए के तहत विदेशी एजेंटो को भुगतान किया गया कमीशन
सीएसईजेड कोच्ची	मै. एल्लेप्पी कम्पनी लि. पुथेनन्गदी	0.16	प्राप्त संसाधित प्रभार तथा किराया
जोड़		**1.72**	

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में बताया कि सेवा कर तथा डीओआर से संबंधित है ये मामले टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को बताए जा सकते है।

4.5 केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की अनियमित प्रतिपूर्ति

(क) एफटीपी (2004-09) के पैराग्राफ 6.11 (सी) के साथ पठित परिशिष्ट 14-1-आई के अनुसार, ईओयूज माल के उत्पादन के लिए डीटीए से की गई खरीद पर सीएसटी की पूर्ण प्रतिपूर्ति का हकदार है।

लेखापरीक्षा ने डीसी, एफएसईजेड के कार्यालय पर अभिलेखों से यह पाया कि मै. मित्तल टेक्नोपैक प्रा. लि., एक ईओयू को माल पर सीएसटी दावे की प्रतिपूर्ति की गई जिसमें डीटीए यूनिट से नहीं अपितु एक सेज यूनिट मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. से प्राप्त पीपी ग्रैन्यूल/होमोपॉलिमर सम्मिलित थे। यह उक्त वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.11 लाख की सीएसटी राशि की अधिक प्रतिपूर्ति हुई ।

(ख) ईओयू को की आपूर्ति पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए अनुसरित होने वाली प्रक्रिया से संबंधित एचबीपी (2009-14) के परिशिष्ट 14-1-आई के पैरा 3(iii) के अनुसार, सीएसटी की प्रतिपूर्ति केवल उन यूनिटो को स्वीकार्य होगी जो कि नियमावली 1957 के साथ पठित (पंजीकरण तथा कुल कारोबार) सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 7 के अनुसार बिक्री कर प्राधिकरणों में स्वंय को पंजीकृत करवाते है तथा बिक्री कर प्राधिकरणों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करते है। हमने एफएसईजेड, कोलकाता के क्षेत्राधिकार के तहत मै. रोहित फेररो-टेक लि. के मामले में देखा कि 2012-13 के दौरान सीएसटी की प्रतिपूर्ति मंजूर की गई थी। यह पता चला कि सीएसटी पंजीकरण (दावे के साथ प्रस्तुत 1.4.2003 से प्रभावी) 35, चितरंजन एवेन्यू पर स्थित अपने कोलकाता कार्यालय/यूनिट के लिए था तथा इसके पूर्व मेदीनीपुर स्थित 100 प्रतिशत ईओयू यूनिट के लिए नहीं था। सीएसटी पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकतओं को यूनिट द्वारा पूरा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58.98 लाख की अनियमित प्रतिपूर्ति हुई।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में बताया कि एक मामले में वसूली की गई है तथा अन्य मामले में वसूली प्रक्रियाधीन है।

4.6 पुन: भंडारण प्रमाणपत्र प्राप्त न होना

भंडारण का माल (निष्कासन) विनियम 1963 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 67 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे माल पर उद्धग्रहाय शुल्क के बराबर राशि का एक बांड बनाकर एक भंडारण से दूसरे भंडारण में माल हटाया जा सकता है। सीमा शुल्क नियमावली के अध्याय 25 के तहत पैराग्राफ 12.1 तथा भंडारण माल (निष्कासन) विनियम 1963 का विनियम 4 अनुबंधित करता है कि भंडारण का मालिक प्राप्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अन्दर पुन: भंडारण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसके न होने पर वह ऐसे माल पर उद्धग्रहाय आयात शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हमने 1 माह से 73 माह के बीच 3177 पुन: भंडारण प्रमाणपत्र की प्रस्तुति में विलम्ब देखा। सम्मिलित आयात का मूल्य ₹ 204.16 करोड़ के परित्यक्त शुल्क के साथ ₹ 762.34 करोड़ था।

डीओसीने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में कहा कि ये मामले सेवा कर से सम्बद्ध है तथा डीओआर को टिप्पणियां प्रस्तुत करनी है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जा सकते है।

4.7 बांड का अपर्याप्त कार्यान्वयन होना/कार्यान्वयन न होना

(क) सीमा शुल्क अधिनियम 1962, (1) की धारा 59 के अनुसार, धारा 61 की उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट किसी माल का आयातक जिसे भंडारण के लिए प्रविष्ट किया गया है तथा धारा 17 या धारा 18 के तहत शुल्क के लिए निर्धारित किया गया है, को सीमा शुल्क के डीसी/एसी क्षेत्राधिकार से पूर्व एक एकल सभी उद्देश्य बांड क्रियान्वित करना होगा तथा सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में विफलता के मामले में शुल्क के देयता को कवर करते हुए ऐसे माल पर निर्धारित शुल्क की राशि की दोगुनी राशि में स्वयं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बाध्यकारी बनाएगा।

बांड फाइलों तथा डीसी, एनएसईजेड, वीएसईजेड, एसईईपीजेड तथा सीएसईजेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पांच ईओयू यूनिटो ने 30 प्रतिशत से 193 प्रतिशत के बीच आवश्यक राशि से बहुत कम फार्म बी-17 बांड में बांडों को क्रियान्वित किया। दो अन्य यूनिटों में बांड रजिस्टर नहीं बनाया गया। अपर्याप्त बांड का क्रियान्वयन तथा बांड रजिस्टर का अनुरक्षण

न होने से इनमें ₹ 62.27 करोड़ की सीमा तक सरकारी राजस्व की सुरक्षा को जोखिम हुआ जैसाकि परिशिष्ट 4 में वर्णित है।

(ख) इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59 में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन में मै. एलाइड इन्स्ट्रूमेंट प्रा. लि. तथा कोड वर्क सोल्यूशन प्रा. लि. के संदर्भ में क्रमश: डीसी, एनएसईजेड तथा सीएसईजेड के तहत बांड रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में कहा कि ये मामले सेवा कर से सम्बद्ध है तथा डीओआर को टिप्पणियां प्रस्तुत करनी है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जा सकते है।

4.8 क्षेत्राधिकारी प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ठेके के कार्य के लिए माल को हटाना।

परिपत्र संख्या 65/2002-सी.शु. दिनांक 07 अक्तूबर 2002 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 6.14(ए)(i) के अनुसार, ईओयू को सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उस क्षेत्राधिकारी एसी/डीसी से ठेके के कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है जिसके क्षेत्राधिकार के तहत यूनिट संचालित होती है। अनुमत्त स्वीकृति एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। चार यूनिटो[11] के मामले में, यह पाया गया कि सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी सहायक/उप आयुक्त से जॉब कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में कहा कि ये मामले सेवा कर से सम्बद्ध है तथा डीओआर को टिप्पणियां प्रस्तुत करनी है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जा सकते है।

4.9 तदर्थ मानदण्डों के निर्धारण के लिए प्राप्त मामलों का डाटा उपलब्ध न होना तथा उसका अंतिम निर्णय लेना।

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 6.8(ई) के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न या उसके बाद के संदर्भ में स्क्रैप/वेस्ट/रेमनेन्टस (एसडब्ल्यूआर) को निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत की सम्पूर्ण अंतिम सीमा के अन्दर व्यवहार्य रूप में रियायती शुल्को के भुगतान पर शुल्क छूट योजना के तहत अधिसूचित एसआईओएन के अनुसार डीटीए में बेचा जा सकता है। मानदण्डों

[11] वीएसईजेड, विशाखापटटनम के तहत मै. कीर्थी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिक डिविजन) (100 प्रतिशत ईओयू) बालनगर-1 रेंज तथा मै. डीवीबी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एनएसईजेड, नोएडा के तहत मै. सेनवेट एक्जिम प्रा.लि. दिल्ली तथा मै. वेल्सप्रींग यूनिवर्सल, नई दिल्ली

द्वारा कवर न की गई मदो के संदर्भ में, डीसी छः माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है तथा इस समयावधि के अन्दर मानदण्ड समिति द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए। तदर्थ मानदण्ड तब तक जारी रहेंगे जब तक मानदण्ड समिति द्वारा ऐसे समय मानदण्ड निर्धारित किए जाए। डीटीए बिक्री की पात्र ने होने वाली यूनिटों द्वारा एसडब्ल्यूआर की बिक्री या डीटीए बिक्री पात्रता से अधिक बिक्री पूर्ण शुल्को के भुगतान पर किया जाएगा। एसडब्ल्यूआर को भी निर्यात किया जा सकता है। तदर्थ मानदण्डों का मामला भी दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना की खण्ड(ए) उप खण्ड (ii) की शर्त संख्या (4), दिनांक 6 जुलाई 2007 की सीई अधिसूचना द्वारा संशोधित दिनांक 31 मार्च 2003 की जी.एस.आर. 265(ई) के तहत निपटाया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि एसआईओएन में दिए गए के अलावा अतिरिक्त मदो की इनपुट के रूप में आवश्यकता होती है अथवा जहां उपयोगकर्ता उद्योग मौजूदा एसआईओएन को अपर्याप्त रूप में मानता है अथवा जहां डब्ल्यूएसआर का उत्पादन प्राप्त इनपुटो के 2 प्रतिशत से अधिक हो, वहां ऐसे माल के उपयोग को तब तक स्व-घोषित मानदण्डो के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी जब तक ऐसे मानदण्डो को स्व-घोषित मानदण्डो की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर क्षेत्राधिकारी विकास आयुक्त द्वारा तदर्थ आधार पर निर्धारित किया जाए तथा यूनिट तदर्थ मानदण्डो के निर्धारण के छः माह के अन्दर स्वीकृति बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित मानदण्डो के अनुरूप स्व-घोषित/तदर्थ मानदण्डो को समायोजित करने का उत्तरदायित्व लेती है।

डीसी, केएएसईजेड गांधीधाम के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कार्यालय के पास तदर्थ मानदण्डो के निर्धारण हेतु प्राप्त मामलों की संख्या, अंतिम रूप दिए गए मामलो की संख्या तथा अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या के संदर्भ में डाटा नहीं था। यह दर्शाता है कि तदर्थ मानदण्डों से संबंधित मामलों के संदर्भ मॉनीटरिंग तंत्र कमजोर था।

डीसी, केएएसईजेड के तहत एक ईओयू मै. बिस्साजा इंडिया प्रा. लि. यूनिट को ग्लास मोसेक के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई। यूनिट द्वारा दायर एपीआर तथा चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र से यह पाया गया कि 2009-10 से 2013-14 की समयावधि के दौरान उत्पादित तैयार माल (अर्थात ग्लास मोसेक) की तुलना में उत्पादित तथा बेचे गए एसडब्ल्यूआर की मात्रा बहुत अधिक थी (तैयार माल का लगभग 65 प्रतिशत) जैसाकि नीचे वर्णित है।

तालिका 9: तदर्थ मानदण्डो का निर्धारण न होना

					तैयार माल (ग्लास मोसेक) की मात्रा				
वर्ष	**उत्पादित एसडब्ल्यूआर की मात्रा (किग्रा.)**	**बेचे गए एसडब्ल्यूआर की मात्रा (किग्रा.)**	**मूल्य (₹ लाख में)**	**यूनिट लागत (₹)**	**किग्रा.**	**वर्ग मीटर**	**मीटर**	**पीस**	**मॉडयूल**
2009-10	723664	902867	6.64	0.73	1441094	74435.37	15	33	उ.न.
2010-11	1437879 किग्रा. +51.75 वर्गमीटर	1352830	3.21	0.23	2593829	116960	44	उ.न.	26
2011-12	1476158	1510084	4.43	0.29	2453601	110256	32	उ.न.	30
2012-13	2330426	2165980	5.89	0.27	2701798	97759	191	उ.न.	76
2013-14	2346068	2394674	3.38	0.14	3553548	93736.61	92.85	उ.न.	20
जोड़	**8314195किग्रा. +51.75 वर्गमीटर**	**8326435**	**23.58**	उ.न.	**12743870**	**493146.98**	**374.85**	**33**	**152**

यद्यपि यूनिट को दिनांक 21 अगस्त 2006 को डीसी, केएएसईजेड के लिए एसआईओएन के निर्धारण हेतु काम में लाया गया जिसमें 50 प्रतिशत का अपशिष्ट दावा था। इसे 6 नवम्बर 2008 को तदर्थ आधार पर डीसी द्वारा स्वीकृत किया गया तथा लेखापरीक्षा (जून 2014) की तिथि तक अंतिम रूप दिए बिना यह तदर्थ स्वीकृति जारी रही। समय पर तदर्थ मानदण्डों को अंतिम रूप न देने से डीसी द्वारा मानदण्ड निर्धारण के निर्धारण मामलों की खराब निगरानी प्रदर्शित होती है। तदर्थ मानदण्डो में अनुचित विलम्ब यह दर्शाता है कि विकास आयुक्त केएएसईजेड, गांधीधाम के कार्यालय में ऐसे मामलों को पकड़ने की प्रक्रिया कमजोर है। इसके अलावा, यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण की ओर से खराब निगरानी को भी दर्शाता है।

डीओसी ने अपने उत्तर में यह बताया (जनवरी तथा फरवरी 2015) कि एचबीपी, खण्ड । का पैराग्राफ 6.6(ई) अनुबंधित करता है कि जहां एसआईओएन में दिए जहां अन्य मदें इनपुट के रूप में आवश्यक है या जहां अपरिशिष्ट, स्क्रैप तथा अवशेष का उत्पादन इनुपट मात्रा के 2 प्रतिशत से अधिक है, वहां तीन माह की अवधि के अन्दर क्षेत्राधिकारी डीसी द्वारा ऐसे इनुपट के उपयोग को स्वीकृत किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में, इनपुट की खपत तथा स्क्रैप उत्पादन के अनुपात के मानदण्डो के निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारण डीसी नहीं अपितु मानदण्ड समिति है। इसके अलावा एफटीपी के पैरा 6.8(ई) स्पष्ट रूप से बताता है कि मानदण्डों में कवर न की गई मदो के संदर्भ में, डीसी छः माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है तथा इस अवधि के अन्दर मानदण्ड समिति द्वारा

मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए। तदर्थ मानदण्ड तब तक जारी रहेंगे जब तक मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित करे। इसलिए यह स्पष्ट है कि तदर्थ मानदण्डो को अंतिम रूप देने तक डीसी द्वारा स्वयं घोषणा पर निर्धारित मानदण्ड स्वीकार्य होंगे।

मै. विस्साजा इंडिया प्रा. लि. द्वारा अधिक अपशिष्ट, स्क्रैप तथा अवशेष के उत्पादन के संदर्भ में, यूनिट ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण के माध्यम से दिनांक 13.10.2014 के पत्र द्वारा यह प्रस्तुत किया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना अपूर्ण है क्योंकि उन्होंने केवल तैयार माल के उत्पादन के आधार पर कि.ग्रा. आधारित स्क्रैप अनुपात की गणना की है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वास्तविक अपशिष्ट प्रतिशतता केवल 33 प्रतिशत है जो स्वीकृत तदर्थ मानदण्डों से बहुत कम है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके उत्पाद को सजावट के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है तथा इस कारण से स्क्रैप का निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पादन किया जाता है तथा यह स्क्रैप के रूप में उपयोग योग्य तथा देय के लिए मंजूर करने हेतु नहीं अपितु स्वीकृत सीमा के अन्दर है। यदि डीजीएफटी डीसी द्वारा निर्धारित तदर्थ मानदण्डो से कम अपशिष्ट मानदण्ड निर्धारित करता है तो यूनिट तदर्थ मानदण्डो के निर्धारण की तिथि से भिन्नता का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

डीओसी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मुद्दा डीसी द्वारा तदर्थ मानदण्डो के निर्धारण की तिथि से छः माह के अन्दर मानदण्ड समिति द्वारा तदर्थ मानदण्डो को न बनाने का था। इसके अलावा, डीसी केएसईजेड के पास तदर्थ मानदण्डो को अंतिम रूप देने के मामलों का पता लगाने पर आधारित कोई डाटा नहीं है।

4.10 एसआईओएन के तहत स्वीकृत के अलावा आयातित इनपुट/कच्ची सामग्री/उपभोगीय वस्तुओ की खपत पर शुल्क का उद्वग्रहण न होना

मानक इनुपट आउटपुट मानदण्ड (एसआईओएन), एफटीपी (2009-14) (खण्ड-2) की क्रम संख्या –ए 1049 के अनुसार 'ओपथेलमिक लेंसिस' के निर्माण तथा निर्यात के लिए स्वीकृत इनपुट 'रफ ब्लेंक' है।

डीसी, एफएसईजेड एंड कोलकाता V / दिल्ली-III केन्दीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के तहत कोलकाता एवं गुडगांव (अतिरिक्त यूनिट) में स्थित मै. जीकेबी रेक्स लेंस प्रा. लि. (100 प्रतिशत ईओयू) से संबंधित अभिलेखो की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 'ओपथेलमिक लेंसिस' के निर्माण के लिए क्रमशः फरवरी 1995 तथा जून 2009 में एलओपी जारी किया गया। तथापि, यूनिट ने 2009-14 के दौरान 'स्पेक्टेक्ल लेंस' तथा

उपभोगीय' जो 'ओपथेलमिक लेंसिस' के निर्माण के लिए आयात की योग्य मदे नहीं थी, का आयात किया तथा खपत की। ईओयू द्वारा प्रस्तुत कच्ची सामग्री खरीद डाटा के अनुसार, यूनिट ने 2009-14 की समयावधि के दौरान ₹ 77.83 करोड़ शुल्क सहित ₹ 363.13 करोड़ राशि के 'स्पेक्टेकल लेंस' तथा 'उपभोगीय' का आयात किया जो अस्वीकार्य था।

यह बताए जाने पर (सितम्बर 2014) डीसी फाल्टा ने कहा (नवम्बर 2014) कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान गुडगांव की ईओयू यूनिट ने 'कांच के बने रफ ब्लेंक्स' सीटीएच- 70151010 का उपयोग नहीं किया (जो 'ओपथेलमिक लेसिस' के निर्माण हेतु एसआईओएन प्रविष्टि संख्या ए-1049 के अनुसार ओपथेलमिक लेंसो के निर्यात हेतु आयात की स्वीकार्य मद थी) तथा केवल 'प्लास्टिक से बने स्पेक्टेकल लेंसो' सीटीएच -90015000 का उपयोग किया तथा आयातक के दावे के अनुसार, एचबीपी (खण्ड-1) के पैराग्राफ 6.6(ई) तथा अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. के संदर्भ में, डीजीएफटी या किसी अन्य प्राधिकरण से एसआईओएन की निर्धारण की कोई आवयकता नहीं थी क्योंकि उनका अपशिष्ट /स्क्रैप/अपशेष इनपुट मात्रा के 2 प्रतिशत से कम है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एचबीपी (खण्ड-I) के पैराग्राफ 6.6(ई) तथा अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. की शर्त 3(डी)(I)(ii) के अनुसार, आयातित माल को भारत से बाहर तैयार माल के निर्यात के लिए एसआईओएन के अनुसार उपयोग करना पड़ता है तथा उक्त अधिसूचना के तहत प्रतिबंध के अनुसार ऐसे मामले में जहां कोई एसआईओएन अधिसूचित नहीं है, वहां इनपुट मात्रा के 2 प्रतिशत तक अपशिष्ट, स्क्रैप तथा अपशेष के सृजन को स्वीकृति दी जानी चाहिए। तात्कालिक मामले में, एसआईओएन (ए-1049) पहले ही निर्माण मदो 'ओपथेलमीक लेंसो' के लिए मौजूद है।

4.11 आयातित इनपुट/कच्ची सामग्री की अधिक खपत पर परित्यक्त राजस्व की उगाही न होना

एसआईओएन, एफटीपी (2009-14) (खण्ड 2) में, 'इन्सटेंट टी' के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए 'इन्सटेंट टी' के लिए किसी एसआईओएन के अभाव में, अपशिष्ट की उत्पत्ति को दिनांक 31.3.2003 की अधिसूचना की शर्त 3(डी)(I)(ii) के तहत प्रतिबन्ध के अनुसार इनपुट मात्रा के अधिकतम 2 प्रतिशत तक अनुमति दी जानी चाहिए।

डीसी क्षेत्राधिकार के तहत फाल्टा सेज तथा सिलीगुडी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय की मै. गुडरिक्स ग्रुप लि. (इन्सेटेंट टी प्लांट), जलपायगुडी (100

प्रतिशत ईओयू) (एलओपी दिनांक 28.10.94) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि यूनिट को 'इन्सटेंट टी' के निर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 1994 में मंजूरी दी गई थी जिसके लिए यूनिट दिनांक 31.3.2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003 सी.शु. के तहत छूट का लाभ उठाकर 'ऊलोंग टी' का नियमित रूप से आयात कर रहा था। तथापि, यूनिट को दिनांक 31.3.2003 की अधिसूचना की शर्त 3(डी)(I) के तहत प्रतिबंध के उल्लंघन में 2009-10 से 2012-13 की समयावधि के दौरान इनपुट मात्रा के 79 प्रतिशत तक अपशिष्ट उत्पत्ति की स्वीकृति दी गई।

यूनिट द्वारा 2009-13 की अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए आयात तथा तैयार माल के आंकडे से, लेखापरीक्षा ने पाया कि यूनिट ने 2,10,800 किग्रा. 'इन्सटेंट टी' के निर्माण के लिए (स्वीकार्य अपशिष्ट की मंजूरी देने के पश्चात) 7,20,326.4 किग्रा. अधिक 'ऊलोंग टी' की खपत की जिस पर ₹ 3.40 करोड़ ब्याज सहित ₹ 7.09 करोड़ की राशि का सीमा शुल्क उद्धग्रहाय था। तथापि, शुल्क तथा ब्याज की उगाही के लिए न तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा न ही डीसी, फाल्टा सेज प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में बताया कि डीओआर से उत्तर प्रतिक्षित है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

4.12 एलओपी में दी शर्तो का उल्लंघन

यूनिटें परियोजना रिपोर्ट के साथ एक आवेदन बनाकर ईओयू योजना के तहत निर्यात माल तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं ले रही है। स्वीकृति पर, डीसी/पदनामित अधिकारी द्वारा ईओयू को एक स्वीकृति पत्र (एलओपी) जारी किया जाएगा। एलओपी की आरंभिक वैद्यता यूनिट के उत्पादन प्रारम्भ करने के समय से तीन वर्षो तक होती है। सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसकी वैधता को तीन वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि छः वर्षो के बाद के विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा मामले दर मामले आधार पर अपवादात्मक परिस्थितियों में मंजूरी दी जा सकती है। एक बार इकाई द्वारा उत्पादन शुरू होने के पश्चात् जारी एलओपी इसकी गतिविधियों हेतु पाँच वर्षो तक वैध होगा। इस अवधि को डीसी द्वारा एक बार में पाँच वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है।

संबंधित प्राधिकार द्वारा ईओयू इकाईयों को जारी एलओपी सभी उद्देश्यों हेतु प्राधिकृत माना जाएगा। एलओपी प्राप्त करने के पश्चात इकाई को संबंधित डीसी के साथ एलओपी की शर्तों और निर्बधनों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में एक कानूनी घोषणा (एलयूटी) करना होता है। सकारात्मक एनएफई न प्राप्त करने और एलओपी के किसी शर्त या नियम के उल्लंघन पर इकाई पर एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

i) लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नोएडा सेज के अंतर्गत सात ईओयूज़ में एलओपी में प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन 15.96 प्रतिशत से 1813.54 प्रतिशत तक अधिक था। इन मामलों में इकाईयों द्वारा एलओपी की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, अतः इन पर एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जानी थी। यहाँ तक कि ऐसी भिन्नताओं का कारण भी इकाईयों द्वारा प्रस्तुत एपीआर में नहीं बताया गया है।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2015) में बताया कि अनुमन्य स्थापित क्षमता से अधिक उत्पादन, प्रक्रियागत उल्लंघन है। ईओयू को एफटीपी के पैराग्राफ 6.32(4) के अनुसार डीसी की अनुमति लेनी चाहिए थी। हालांकि, चूँकि अधिक उत्पादन के बारे में बताया गया था, सरकार को राजस्व हानि होना प्रतीत नहीं होता। एफटीपी/एचबीपी के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संबंधित इकाईयों पर कार्रवाई की जा रही है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

ii) चार इकाईयों (नोएडा सेज एवं सीसेज़ में दो-दो) में एलओपी की अनुमोदित सीमा से अधिक पूँजीगत वस्तुओं एवं कच्चे माल की खरीद की गई थी। वास्तविक खरीद और एलओपी में अनुमोदित मात्रा में 96.80 प्रतिशत से 556.18 प्रतिशत तक का अंतर था।

डीओसी ने सीसेज़ के संबंध में अपने उत्तर (जनवरी 2015) में बताया कि ₹ 9.98 करोड़ की अनुमोदित सीमा से अधिक माल की खरीद के एक मामले में इकाई के निष्पादन और सकारात्मक एनएफई प्राप्ति के मद्देनजर दिसम्बर 2014 में अनुमति दे दी गई थी और अन्य मामलों में इकाई को नोटिस जारी किया गया है और उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

iii) अन्य मामलों में एक एसईईपीजेड के अंतर्गत चार इकाईयों के एलओपी के अनुसार प्राकलित निर्यात से वास्तविक निर्यात कम था। इन मामलों में,

एलओपी में प्राकलित निर्यात से वास्तविक निर्यात 61.13 प्रतिशत से 97.83 प्रतिशत तक कम था।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि इकाई को नवीनीकरण अनुमति देते समय संभावित आंकड़ों के प्रति वास्तविक निर्यात निष्पादन की गैर निष्पादन सहित निगरानी/समीक्षा की जाती है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित प्राधिकरण द्वारा ईओयू इकाईयों को जारी एलओपी को सभी उद्देश्य हेतु प्राधिकार समझा जाएगा। एलओपी प्राप्त करने के बाद इकाई एलओपी की शर्तों और निर्बधनों के अनुसार एक कानूनी उपक्रम (एलयूटी) निष्पादिन है। सकारात्मक एनएफई सुनिश्चित करने में विफलता अथवा एलओपी के किसी भी नियम या शर्तों के उल्लंघन पर एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम के तहत इकाई पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग एलओपी के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन पर एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम की स्वीकार्यता को स्पष्ट करने पर विचार करे।

iv) एफएसईजेड के तहत एक मामले में एलओपी में तीन वर्षों की वैधता के प्रावधान के प्रति एक इकाई ने एलओपी जारी होने (दिसम्बर 1993) के ग्यारह वर्ष के बाद अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया (मार्च 2005)। यह भी देखा गया कि डीसी, फाल्टा ने एलओपी का विस्तार किया था (मार्च 2005) किन्तु विस्तार किए जाने के छः वर्ष बाद भी बीओए का अनुमोदन नहीं लिया गया, जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया/रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे। हालांकि इकाई अभी भी संचालित नहीं हुई तथा न तो कोई जुर्माना लगाया गया और न ही एलओपी को रद्द किया गया।

उपरोक्त सभी मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि इओयू लगाने के आवेदन में वास्तविक उत्पादन को संभावित उत्पादन से जोड़ने के लिए एफटीपी में कोई प्रावधान नहीं है और न ही उत्पादन में अन्तर की निगरानी का कोई प्रावधान है। उपरोक्त बताए गए मामले दर्शाते हैं कि ईओयूज़ द्वारा विशेष रूप से इसके तय लक्ष्यों के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को एपीआर के स्वरूप में पर्याप्त तरीके से नहीं बनाया गया।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) बताया कि ईओयू लगाते समय अथवा एलओपी के नवीनीकरण के समय परियोजना रिपोर्ट में इकाई द्वारा दर्शाये गए संभावित आकड़े उनके उत्पाद के बाजार माहौल मिलने पर निर्भर करता है। यह निर्यात निष्पादन की मॉनिटरिंग हेतु अकेला आधार नहीं हो सकता। ईओयू का एकमात्र दायित्व पाँच वर्षों की अवधि में समेकित सकारात्मक एनएफई प्राप्त करना है।

निगरानी हेतु पहले ही एक तंत्र है जैसा कि परिशिष्ट 14-I-जी में बताया गया है, जिसके अनुसार इकाई निगरानी की जाती है यदि पहले और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर ईओयू योजना में मानकों के अनुसार एनएफई प्राप्त करने में गिरावट आती है तब इकाई को निगरानी के तहत रखा जाता है। उत्पादन शुरू होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में विफलता पर एक चेतावनीपूर्ण पत्र जारी किया जाता है और उसके तीसरे अथवा बाद के वर्षों की समाप्ति पर एससीएन जारी किया जाता है। यदि एफटीपी के पैराग्राफ 6.5 के अनुसार ब्लॉक अवधि की समाप्ति के बाद सकारात्मक एनएफई नहीं प्राप्त किया जाता, डीसी, एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करता है।

डीओसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने देखा कि डीसी ईओयूज़ के निष्पादन की निगरानी नहीं कर रहे हैं।

सिफारिश सं. 5: *विभाग परिकल्पित उद्देश्यों हेतु संलग्न ईओयू में प्रक्रिया/प्रावधानों को विनियमित करने के लिए एफटी (डीएण्डआर) के संबंधित प्रावधान का अक्षरश: पालन करे।*

डीओसी सिफारिश पर विशेष उत्तर दे।

4.13 विदेशी मुद्रा की वसूली नहीं की गई

एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 6.11 में प्रावधान है कि ईओयू के निष्पादन की यूएसी द्वारा मॉनीटरिंग की जाएगी। एफटीपी के पैराग्राफ 6.12(सी) की शर्तों के अनुसार ईओयूज़ को निर्यात के 12 महीने के भीतर अपनी निर्यात आय वसूल करना होता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएसईजेड बैंग्लोर, एनएसईजेड, नोएडा और वीएसईजेड विशाखापट्टनम के तहत चार मामलों में ₹ 22.30 करोड़ की विदेशी मुद्रा अभी भी वसूली जानी थी जबकि इकाईयों ने उत्पादन शुरू होने की तिथि से पाँच ब्लॉक वर्ष पूरा कर लिया। इन मामलों में संबंधित डीसी/यूएसी विदेशी मुद्रा की वसूली की निगरानी करने में विफल रहे। एचबीपी पैराग्राफ 6.9 और 6.11 की शर्तों के अनुसार संबंधित कंपनियों से गैर वसूली पर छोड़े गये उक्त शुल्क की वसूली की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि 31.03.2014 तक डीसीज़ एसपीईईजेडएस, मुंबई, एनएसईजेड, नोएडा, सीएसईजेड, कोच्चि, एमईपीजेड, चेन्नई एवं वीएसईजेड विशाखापट्टनम के अंतर्गत 29 अन्य ईओयूज़ में ₹ 64.40 करोड़ राशि की विदेशी मुद्रा की वसूली अनुमत अवधि के बाद भी नहीं की गई थी, यह दर्शाने

हेतु कोई अभिलेख नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि एफई[12] की वसूली की मॉनीटरिंग हेतु संबंधित डीसीज़ द्वारा कार्रवाई की गई है।

ये सभी, डीसीज़ द्वारा विदेशी मुद्रा वसूली की अपर्याप्त मॉनीटरिंग के कुछ मामले हैं।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि विदेशी मुद्रा प्रेषण की वर्तमान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एनएसईजेड में इकाईयों के संबंध में एपीआर के आधार पर संबंधित इकाईयों को पहले ही पत्र जारी किए जा चुके हैं और सीएसईजेड में एक इकाई ने वसूली त्याग देने का अनुरोध किया गया था क्योंकि कंपनी को जिससे एफई की वसूली करनी थी वह दिवालिया हो गयी थी। अन्य कंपनी से लंबित एफई की वसूली की गई थी। इसी प्रकार अन्य संबंधित इकाईयों में डीसी ने संबंधित ईओयूज़ से रिपोर्ट माँगी गई।

डीओसी का उत्तर स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि डीसीज़ द्वारा विदेशी मुद्रा वसूली की निगरानी पर्याप्त नहीं थी।

4.14 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए के तहत ईओयू को जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना का लागूकरण

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि शत प्रतिशत ईओयू में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर डीटीए की मंजूरी पर आयातित वस्तुओं पर देय शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए सरकार को छूट अधिसूचना जारी करने की शक्तियाँ देती है जो कुछ वस्तुओं पर पूरा अथवा कुछ उत्पाद शुल्क से छूट देती है बशर्ते कि वे वस्तुएँ इसमें विनिर्दिष्ट हों। हालांकि धारा 5ए के प्रावधान के अनुसार इसमें दी गई छूट ऐसे उत्पादयोग्य वस्तुओं पर नहीं लागू होगा जो शत प्रतिशत इओयू में उत्पादित अथवा निर्मित होती है।

इस प्रकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अनुसार ईओयू से डीटीए मंजूरी लेते समय आयत के सममूल्य पर शुल्क बनता है, अधिनियम की धारा 5ए के अंतर्गत आयात पर उपलब्ध छूट लाभ ईओयू से मंजूरी के लिए लागू नहीं होता।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आठ ईओयूज़ में से डीसी, फाल्टा के क्षेत्राधिकार में सात और एक ईओयू ने डीसी, एसईईपीजेड, मुंबई केंद्रीय उत्पाद शुल्क

---

[12] एचबीपी के परिशिष्ट 14-I-जी के अनुसार

अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना के अंतर्गत इसमें निहित प्रावधानों के विपरीत ₹ 17.67 करोड़ का शुल्क छूट का लाभ लिया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

तालिका 10: केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना का लागूकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डीसी आयुक्त	इकाई का नाम (मै.)	डी बांडिंग की अवधि/तिथि	डीटीए में व्यापार का मूल्य	कम भुगतान/भुगतान नहीं किया गया शुल्क
1	फाल्टा सेज	सोवा पावर लिमिटेड	2009-14	62.63	8.19
2	फाल्टा सेज	मनक्सिया लि., हुगली	2009-14	4.45	0.60
3	फाल्टा सेज	सिनर्जी इलेक्ट्रिक प्रा. लि.	2007-13	16.06	2.35
4	फाल्टा सेज	ग्रेडिएंट वायर प्रोडक्ट प्रा. लि.	2012-14 (20.3.14 तक)	4.52	0.27
5	फाल्टा सेज	गुडरिक ग्रुप लि.	2009-13 (28.5.12 तक)	9.20	1.42
6	फाल्टा सेज	अल चैम्पडैनी इंडस्ट्रीज लि.	25.5.2012	उ.न.	3.81
7	फाल्टा सेज	नफर चंद्र जूट मिल्स लि.	6.5.2013	उ.न.	0.27
8	एसईईपीजेड सेज	श्रेया लाइफ साइंस प्रा. लि.	2008-09 से 2010-11	8.58	0.76

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने एसईईपीजेड सेज के अधीन एक इकाई को ₹ 0.76 लाख का एससीएन जारी किया।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि मामलों की जांच करने और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु क्षेत्राधिकारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को भेज दिया गया है।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

सिफारिशें सं. 6: *विभाग को ईओयूज़ द्वारा दी गई घरेलू मंजूरी पर उद्ग्रहण योग्य शुल्क से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और धारा 3 के विरोधाभाषी प्रावधानों के कारण उत्पन्न अस्पष्टता को हटाने के लिए उपयुक्त संशोधन पर विचार करना चाहिए।*

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि अस्पष्टता को दूर करने हेतु डीओआर से जाँच करने का अनुरोध किया जाएगा। डीओसी अपनी टिप्पणियाँ देते हुए और इन मदों की जाँच हेतु डीओआर को भी लिखेगा और फिर आगे की कार्रवाई करेगा।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

4.15 एफटीपी और सीई अधिसूचना में अस्पष्टता

एचबीपी के परिशिष्ट 14-I-एच के क्रमांक 1(डी) में प्रावधान है कि एक ईओयू हकदारी लेने के तीन वर्षों के भीतर डीटीए बिक्री हकदारी ले सकता है। अतः ईओयूज अपनी डीटीए बिक्री हकदारी को आगे बढ़ाने का हकदार अगले वर्ष होगा। हालांकि, दिनांक 31 मार्च 2003 के सीई अधिसूचना की अनुबंध तालिका की शर्त संख्या 2(बी) की शर्तों में यह प्रावधान है कि यदि एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 के उप पैराग्राफ (ए), (बी), (डी) और (एच) के अनुसार वस्तुओं को डीटीए में मंजूरी दी जाती है तो इकाई से निकासी की जाने वाली वस्तुओं का कुल मूल्य उक्त इकाई द्वारा वर्ष के दौरान (उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक) किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, इस प्रकार, चालू वर्ष के निर्यात हेतु डीटीए बिक्री हकदारी पर प्रतिबंध है। अतः ईओयू के डीटीए बिक्री हकदारी पर एफटीपी और सीई अधिसूचना के प्रावधान में संदिग्धता थी जिसमें सुधार किया जाना चाहिए था।

***सिफारिश सं.** 7: ईओयूज के डीटीए बिक्री हकदारी से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना और एफटीपी के बीच अस्पष्टता को दूर करने के क्रम में लागू प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार किया जाना चाहिए।*

सिफारिश मानते हुए डीओसी ने उत्तर दिया (जनवरी और फरवरी 2015) कि लेखापरीक्षा के सुझाव के अनुसार डीओआर से इसके विभिन्न अधिसूचनाओं में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि अस्पष्टता दूर करने के लिए एफटीपी/ एचबीपी के प्रावधानों में अनुरूपता लाई जा सके।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

5. निष्कर्ष

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी 2009-14) में मध्यावधि लक्ष्य उपयुक्त नीति समर्थन के माध्यम से 2020 की समाप्ति तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को दुगुना करने के दीर्घावधि लक्ष्य के साथ 2014 तक वस्तुओं और सेवाओं के भारत के निर्यात को दुगुना करना था।

वाणिज्य विभाग की नीतिगत योजना के अनुसार विभाग का लक्ष्य 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का औसत प्राप्त करना था। इस लक्ष्य पर काम करते हुए विभाग का लक्ष्य 2010-11 में इसके वाणिज्यिक निर्यात को 225 बिलियन यूएस डालर (अनुमानित स्तर) से बढ़ाकर 2013-14 में 450 बिलियन यूएस डालर और फिर 750 बिलियन यूएस डॉलर (2016-17) करना था।

इसके लचीलेपन और अद्वितीय स्थिति के कारण ईओयू योजनायें 1980, 1990 और मध्य 2000 दशक तक और प्रखर हुईं जिसने सकारात्मक विकास के लिए इकाईओं की आर्थिक संबंद्धता और एकीकरण, तकनीकी और कौशल के निखार के माध्यम से घरेलू उद्योग में ढाँचागत बदलाव की प्रक्रिया में योगदान दिया।

2006-07 में सेज अधिनियम लागू होने के पश्चात् ईओयूज़ में धीरे-धीरे कमी आयी है। एफटीपी में 100 प्रतिशत ईओयू योजना का असाधारण लाभ लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने देखा कि पूरे निर्यात में ईओयू के हिस्से में 2010-11 में मामूली सुधार को छोड़कर पिछले पाँच वर्षों के दौरान गिरावट आयी है।

डीओसी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि एपीआर समय पर प्रस्तुत किए जांए, जिसे ईओयूज के निष्पादन और निगरीनी हेतु बनाया गया था, में केवल निर्यात के लिये ही नहीं बल्कि छोड़े गये शुल्क, योजना के निष्पादन पर उपयोगी फीडबैक के रूप में प्रयोग करने के लिये सरकार हेतु डीटीए बिक्री के बारे में भी पूर्ण उचित डाटा हो सकता है।

डीओसी ईओयू योजना की नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा की एक प्रणाली बनाए और इससे संबंधित वेबसाइट पर अद्यतित डाटा जुटाने, परिस्कृत और जोड़ने के लिए कदम उठाए।

वाणिज्य विभाग ईओयूज़ की डीटीए बिक्री हकदारी से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना और एफटीपी में अस्पष्टता को दूर करने के लिए लागू प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार करे।

रिपोर्ट में बताए गए प्रणालीगत मुद्दों के अलावा संचालनात्मक गड़बड़ी के विशिष्ट मामलों के कारण ₹ 317.06 करोड़ शुल्क की कम/गैर उगाही हुई।

गैर अनुपालन और नीति के गलत अर्थ के कारण डीटीए बिक्री ईओयू योजनाओं से अलग होते समय शुल्क की कम उगाही केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना के लागूकरण, सेनवेट क्रेडिट के अनुचित लाभ, सेवाकर की गैर वसूली आदि के मामले भी लेखापरीक्षा में देखे गए।

डीओसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2015) में बताया कि उठाए गए अधिकांश मुद्दे तथ्यात्मक हैं। विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों जैसे- समय से एपीआरज़ प्रस्तुतीकरण, जोनल वेबसाईट का अद्यतन, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के कार्यान्वयन हेतु पहले ही कदम उठाया है। जहाँ तक ईओयूज़ के डीटीए बिक्री हकदारी से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना और एफटीपी के बीच अस्पष्टता को दूर करने के लिए लागू

प्रावधानों में संशोधन का संबंध है, राजस्व विभाग से उसके अधिसूचनाओं में संशोधन करने का अनुरोध किया जाएगा, जब और जैसे नए एफटीपी लागू किए जाएंगे।

नई दिल्ली **(डा. नीलोत्पल गोस्वामी)**

दिनांक: 17 मार्च 2015 **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक: 18 मार्च 2015 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1 (पैरा सं. 1.8 देखे)

सेज, इओयू और डीटीए इकाई के बीच शुल्क की तुलना[13]

विवरण	सेज़ इकाई	इओयू इकाई	डीटीए इकाई
कच्चे माल के आयात पर सीमाशुल्क	इनपुटों, पंजीगत माल और निर्माण सामग्री पर छूट	इनपुटों और पूजीगत माल पर छूट	सीमा शुल्क 6 प्रतिशत शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत उच्चतर शिक्षा उपकर 1 प्रतिशत अग्रिम अधिकार के प्रति उपलब्ध कच्ची सामग्री/उपभोग्य पर छूट यदि छूट उपलब्ध नहीं हैं विनिर्माता के लिए-क्रेडिट के रूप से उपलब्ध सीबीडी एवं एसएडी बीसीडी प्रत्येक की लागत हैं।
जूता और चमड़ा विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल का आयात	पूंजीगत माल पर सीमाशुल्क नहीं	पूंजीगत माल पर सीमाशुल्क नहीं 1 काल सीमा के बिना पुराने पूजीगत माल का भी आयात कर सकते हैं।	सशर्त इपीसीजी के अन्तर्गत 0 प्रतिशत ब्लॉक 1 से 4 वर्ष 50 प्रतिशत निर्यात ब्लॉक 5 से 6 वर्ष 50 प्रतिशत निर्यात या सशर्त इपीसीजी के अन्तर्गत 3 प्रतिशत ब्लॉक 1 से 6 वर्ष 50 प्रतिशत निर्यात बलॉक 7 से 8 वर्ष 50 प्रतिशत निर्यात
उत्पाद शुल्क	इनपुटों, पूंजीगत माल और निर्माण सामग्री पर छूट	इनपुटों और पूंजीगत माल पर छूट	केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत उच्चतर शिक्षा उपकर 1 प्रतिशत उपलब्ध उत्पाद शुल्क का क्रेडिट
सेवा कर	इनपुट सेवाए छूट/प्रतिदाय	निर्यात सेवाओं पर प्रतिदाय	सेवाओं के निर्यात का प्रतिदाय

---

[13] सेज़/ईओयू/डीटीए फुटवेयर विनिर्माता कम्पनीयों के बीच शुल्क तुलना

विवरण	सेज़ इकाई	इओयू इकाई	डीटीए इकाई
			सेवा कर सेवा कर 12 प्रतिशत + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत
आयकर नि. व. 2013-14	पहले पांच वर्षों के लिए कोई आयकर नहीं (18.5 प्रतिशत पर देय एमएटी+शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी 19.055 प्रतिशत) 1 करोड़ आय से अधिक एमएटी (18.5 प्रतिशत पर एमएटी + एससी 5 प्रतिशत+शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी 20.00775) 2 रें 5 वर्षों के लिए आयकर 50 प्रतिशत 16.5 प्रतिशत किन्तु लागू एमएटी 18.5 प्रतिशत 3 रे पांच वर्षों में आयकर का 50 प्रतिशत अर्थात् 16.5 प्रतिशत किन्तु लागू एमएटी 18.5 प्रतिशत	यदि आय 1 करोड़ से अधिक है तब 30 प्रतिशत कर + अधिप्रभार 5 प्रतिशत + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी दर 30.90 एमएटी लागू हैं यदि आय 1 करोड़ से अधिक है तब प्रभावी दर 32.45 प्रतिशत लाभांश वितरण 15 प्रतिशत+अधिक प्रभार 10 प्रतिशत + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी दर 16.995	यदि आय 1 करोड़ से अधिक है तब 30 प्रतिशत कर + अधिप्रभार 5 प्रतिशत + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी दर 30.90 एमएटी लागू हैं यदि आय 1 करोड़ से अधिक है तब प्रभावी दर 32.45 प्रतिशत लाभांश वितरण 15 प्रतिशत+अधिक प्रभार 10 प्रतिशत + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी दर 16.995
केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी)	शून्य	विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के अनुसार प्रतिपूर्ति	4 प्रतिशत
भुखण्डों के पट्टे/लाइसेंस पर स्टेम्प शुल्क	छूट प्राप्त	हाँ	हाँ
वेट	राज्य वैट नियमावली के अनुसार छूट/प्रतिदाय वैट छूटें सेवा उद्यमों को उपलब्ध नहीं हैं इनपुट वैट क्रेडिट उपलबध नहीं क्रेडिट के रूप में वैट उपलब्ध	वैट छूट सेवा उद्यमों को उपलब्ध नहीं हैं इनपुट सेवा उपलब्ध नहीं	वैट क्रेडिट के रूप में उपलब्ध

ईओयू, सेज़ और डीटीए ईकाईयों द्वारा प्राप्त किये गये लाभ

विवरण	सेज़ इकाई	इओयू इकाई	डीटीए इकाई
स्थान	क्षेत्र में	भारत में कही भी (रूपातंरण के लिए अनुमत डीटीए इकाईयां)	भारत में कही भी
व्यापार इकाई	अनुमत	अनुमति नहीं	कोई प्रतिबद्धताएं नहीं
न्यूनतम निवेश	शून्य	न्यूनतम ₹ 1करोड़ (कतिपय छूटों के साथ)	शून्य
एनएफई आवश्यकता		5 वर्षों से अधिक में + एनएफई (संग्रहणीय)	लागू नहीं
डीटीए बिक्रियां	शुल्क + सीवीडी + एसएडी के साथ डीटीए की बिक्रियां एनएफई के अध्यधीन	निर्यातित एफओबी माल के 50 प्रतिशत को उत्पाद शुल्क के भुगतान पर अनुमत एनएफई (स्वदेशी कच्चा माल से उत्पादित माल) के अध्यधीन डीटीए में बेचा जा सकता हैं। यदि बेचे गए माल में आयातित माल शामिल है तब सीवीडी के अलावा 50 प्रतिशत बीसीडी+12 प्रतिशत शिक्षा और उच्चतर शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत + एसएडी भुगतान योग्य हैं	उदग्रहणीय उतपाद शुल्क केंद्रीय उतपाद शुल्क 12 प्रतिशत पर शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत पर उच्चतर शिक्षा उपकर 1 प्रतिशत पर डीटीए फिरती एचएस कोड 64 के लाभ ले सकता हैं उदाहरणार्थ एचएस कोड 6403 चमडें के जूतें 9.10 प्रतिशत पर अधिकतम ₹ 230 और 2.30 प्रतिशत पर अधिकतम 58.1 तक जब सेनवेट का उपयोग किया जाए फिरती के अलावा डीटीए 3 प्रतिशत फोक्स्ड मार्केट स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है 2 प्रतिशत एमएलएफएमएस के अन्तर्गत अतिरिक्त बोनस 2 प्रतिशत फोकस्ड उत्पाद योजना 2 प्रतिशत
सीमा शुल्क बॉन्डिंग	नहीं	हाँ	लागू नहीं
घरेलू तेल कंपनियों से खरीदे गए ईंधन पर शुल्क फिरती	आवश्यक नहीं	हाँ	हाँ, डीजीएफटी अधिसूचना के अनुसार
सीमाशुल्क अनुपालन का सरलीकरण	सीमाशुल्क द्वारा आयात निर्यात कार्गो की नियमित जाँच नहीं	सीमाशुल्क द्वारा आयात निर्यात कार्गो की नियमित जाँच नहीं	सीमाशुल्क द्वारा आयात निर्यात कार्गो की नियमित जाँच

आयात/निर्यात प्रतिबंध	आयात लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित/रद्द वस्तुओं (अर्थात् पेट्रोल) का आयात किया जा सकता है	आयात लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित/रद्द वस्तुओं (अर्थात् पेट्रोल) का आया किया जा सकता है	प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात हेतु आयात लाइसेंस आवश्यक है
मौजूदा कर्मचारियों का मौजूदा सुविधाओं से स्थानान्तरण	अनुमत	अनुमत	अनुमत
पूँजीगत वस्तुओं का प्रयोग	पूँजीगत वस्तुओं में 20 प्रतिशत निवेश अनुमत। 20 प्रतिशत की सीमा पार करने पर केवल आयकर मे छूट मना किया जाता हैं	अनुमत	अनुमत
निवेश मंजूरी	सेज इकाईयों के निर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई स्वतः अनुमत	क्षेत्रीय दिशा-निर्देश के अनुसार एफआईपीबी मंजूरी आवश्यक	क्षेत्रीय दिशा-निर्देश के अनुसार एफआईपीबी मंजूरी आवश्यक
लागत वसूली प्रभार	आवश्यक नहीं	हाँ	आवश्यक नहीं
एफटीपी लाभ का अध्याय 3	आवश्यक नहीं	नहीं	हाँ
बुनियादी और भण्डारण व्यय	सेज की व्यवस्था में बनाया गया है	इकाई द्वारा वहन किया जाएगा	लागू नहीं
डीटीए से आपूर्तियाँ	छूट प्राप्त	सीएसटी की अदायगी	--
निर्यात	डीटीए इनपुट को भौतिक निर्यात माना जाता है	डीटीए इनपुट को निर्यात माना जाता है	किसी दावे हेतु भौतिक निर्यात किया जाना
निकासी	जोन से बाहर आना	बाकी इकाई जहाँ यह स्थित है	अनुमत

परिशिष्ट 2 (संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.2)

ईओयूज़ का निष्पादन

निर्यात प्रोत्साहन की हानि	डीईपीबी, फिरती, डीएफआरसी और टारगेट प्लस योजना आदि जैसे निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं हैं।
अधिक निगरानी एवं पर्यवेक्षण	चूँकि सभी निकासी और आवक सरकारी कर्मचारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा निगरानी में है अतः सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिकारी लगातार निगरानी प्रक्रिया समय को और बढ़ाता है।
अतिरिक्त उगाही	ईओयू योजना के तहत लागत वसूली प्रभारों की उगाही।
अतिरिक्त रिकार्ड रखा जाए	रिकार्ड रखना अनिवार्य, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क आयुक्त को नियमित सूचना देना।
लंबा निकसी विकल्प	निकासी विकल्पों हेतु लंबे और विस्मयकारी प्रावधान।
निकासी पर जुर्माना, यदि कोई हो	जुर्माना असम्भव है, यदि इकाई संबंधित अवधि के दौरान सकारात्मक एनएफई और एलओपी की अन्य शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है।
नियत कार्य प्रक्रिया	इकाई के परिसर के बाहर से नियत कार्य करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियायें।
अन्य मुद्दे	छूट प्राप्त वस्तुएँ बनाने वाली इकाईयाँ बदतर है क्योंकि उन्हें तैयार माल अथवा स्क्रैप की निकासी पर शुल्क का भुगतान करना होगा चाहे वे भारत में ही आयातित हों, जो इकाईयों की वस्तुओं को घरेलू डीलरों से सस्ता बनानी हैं।

परिशिष्ट 3 (संदर्भ पैराग्राफ 2.2)

ईओयूज़ का निष्पादन

डीसी	इकाई का नाम	शुल्क की कम उगाही (₹ लाख में)	अनियमितता की प्रकृति
एसईईपीजेड सेज	मै. स्मरूयों आर्गेनिक्स, सोलापुर	19.11	रियायती दर पर मंजूर तैयार माल
एसईईपीजेड सेज	मै. विर्गो वाल्व्स एण्ड कंट्रोल्स लि. पुणे	4.75	तैयार माल के भण्डार पर रियायती दर पर अदा शुल्क
एसईईपीजेड सेज	मै. विर्गो वाल्व्स एण्ड कंट्रोल्स लि. पुणे	63.15	गैर तैयार माल के भण्डार पर रियायती दर पर अदा शुल्क
एनएसईजेड	1 मै. केईआई इंडस्ट्रीज और 2 मै. स्किपर इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि., इकाई-II, भिवाड़ी	6.01	मूल्यह्रास की गणना ठीक से नहीं की गई।
फाल्टा सेज	मै. नफर चन्द्र जूट मिल्स लिमिटेड, नादिया	13.06	मूल्यह्रास की गणना ठीक से नहीं की गई।
सेज	मै. सिग्मा ओल्ड्रिच केमिकल्स प्रा. लि., बैंगलोर	2.20	मूल्यह्रास की गणना ठीक से नहीं की गई।
एसईईपीजेड सेज	मै. गैलेक्सी सरफैक्टेन्ट्स, नवी मुंबई	76.30	पूँजीगत माल पर अदा शुल्क पर 50 प्रतिशत की बजाए 100 प्रतिशत क्रेडिट
फाल्टा सेज	मै. चैतन्य मिनरल्स, जयपुर	4.23	सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2(ए) के तहत पूँजीगत वस्तुओं में मोटर वाहन शामिल नहीं हैं
एनएसईजेड	मै. स्किपर इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि. इकाई-II, भिवाड़ी	6.24	स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं को ईपीसीजी के तहत लिया गया था।
	कुल	**195.05**	

परिशिष्ट 4 (संदर्भ पैरा सं. 4.7)

बांड का अनुपयुक्त/गैर निष्पादन

(₹ लाख में)

डीसी	इकाई (मै.)	अवधि	शुल्क मुक्त खरीद का मूल्य	छोड़ा गया शुल्क	B-17 बांड की निष्पादित राशि	निष्पादित की जाने वाली B-17 बांड राशि	बांड राशि में कमी	कमी की प्रतिशतता
एनएसईजेड, नोएडा	आकृति मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि., नीमराना	2012-13	251.56	35.86	50	71.72	21.72	30.28
एनएसईजेड, नोएडा	पेरिस एलिसिस इंडिया प्रा. लि., जयपुर	2008-09	1162.71	276.02	140	552.04	412.04	74.63
		2009-10	1215.09	225.12	140	450.24	310.24	68.90
		2010-11	1295.93	249.81	140	499.62	359.62	71.97
		2011-12	1533.74	316.44	140	632.88	492.88	77.87
		2012-13	2284.79	558.22	140	1116.44	976.44	87.46
एनएसईजेड, नोएडा	ए. आई. मेटल्स प्रा. लि., भिवाड़ी	2008-09	438.42	64.50	125	129.00	4.00	3.10
		2009-10	1353.25	170.10	125	340.20	215.20	63.25
		2010-11	901.08	132.57	125	265.13	140.13	52.85
		2011-12	1292.04	190.09	125	380.17	255.17	67.12
		2012-13	6151.98	1036.88	125	2073.76	1948.76	93.97
एनएसईजेड, नोएडा	राजस्थान कास्टनार्स प्रा. लि.	2008-09	1752.56	91.32	25	182.64	157.64	86.31
		2009-10	1167.60	93.34	25	186.68	161.68	86.61
		2011-12	1656.60	54.37	25	108.74	83.74	77.01
वीएसईजेड, विशाखा-पट्टनम	मार्स थेराप्यूटिक्स एण्ड केमिकल्स लि.	2009-10	उ. न.	271.91	240	उ. न.	224.74	93.64
		2010-11	उ. न.	568.39	240	उ. न.	463.90	193.29
		2011-12	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
कुल			**22457.35**	**4334.93**	**1930**	**6989.26**	**6227.00**	
एनएसईजेड, नोएडा	एलायड इंस्ट्रूमेंट प्रा. लि.	2009-14	बांड रजिस्टर नहीं बनाया गया					
एनएसईजेड, कोच्ची	कोड वर्क सैल्यूशनस प्रा. लि. कक्नाड	2009-14	बांड रजिस्टर नहीं बनाया गया					